[2021] 1 एस. सी. आर 953

आशा जॉन दीवानथन

वी.

विक्रम मल्होत्रा और ओआरएस।

(2010 की सिविल अपील सं. 9546)

26 फरवरी, 2021

[ए. एम. खानविलकर, इंदु मल्होत्रा

और अजय रस्तोगी, जे. जे.]

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973। 31 , 47 , 50 , 63

एक विदेशी जो विचाराधीन संपत्ति का मालिक था, ने अपीलार्थी के पूर्ववर्ती के पक्ष में बिक्री के समझौते को निष्पादित किया और प्रतिवादी नं। 4 भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बाद-हालाँकि,

लगभग उसी समय उसने प्रत्यर्थी को संपत्ति का हिस्सा उपहार में दिया

नहीं। 1 यद्यपि आर. बी. आई. की किसी पूर्व अनुमति के बिना-अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं. 4'के खिलाफ पूर्ववर्ती

उत्तरदाता नं। 1 अन्य बातों के साथ-साथ उसके पक्ष में उपहार विलेखों को अमान्य और बाध्यकारी नहीं घोषित करने के लिए-ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज-अपीलार्थी और प्रतिवादी द्वारा दायर पहली अपील नं। 4 , हाईकोर्ट ने किया खारिज

अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: में पूर्वनिर्धारित स्थिति

एस. 31 जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, उसके द्वारा भारत में स्थित अचल संपत्ति के हस्तांतरण/निपटान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व सामान्य या विशेष अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है-परिणामस्वरूप, किसी विदेशी द्वारा भारत में स्थित संपत्ति की कोई भी बिक्री या उपहार

प्रत्यर्थी सं. के पक्ष में। 1 कानून में अप्रवर्तनीय होने के कारण, उनके पास नहीं था उसी को आगे स्थानांतरित करने के लिए स्पष्ट शीर्षक-उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए विचारण न्यायालय के विवादित निर्णय और डिक्री को दरकिनार कर दिया गया

अपीलार्थी के पूर्ववर्ती और प्रत्यर्थी नं. 4

कुल मिलाकर अभिनिर्धारित-याचिकाकर्ता वादी का कानूनी प्रतिनिधि होने के नाते मुकदमे की संपत्ति का मालिक होने के नाते और प्रासंगिक अवधि के लिए अपने लाभ के लिए भी हकदार है।

एस.

23 - का कोड

कानूनों की व्याख्या-अनुबंध अधिनियम, 1872 सिविल प्रक्रिया, 1908-Or.20, आर. 12-संविधान

भारत

का-अनुच्छेद

142 .

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973: इसका उद्देश्य और उद्देश्य - एस. 31-चर्चा की गई।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस. 47 - आवेदन-आयोजितः धारा 47 1973 के अधिनियम के तहत आने वाले सभी अनुबंधों या समझौतों पर लागू होती है, जिनके लिए पूर्व की आवश्यकता होती है।

आर. बी. आई. की अनुमति।

एस को प्रोविसो। 31 - के तहत अपवाद-चर्चा की गई।

एसएस। 29 , 31 आयोजित किया गयाः आर. बी. आई. द्वारा कार्योत्तर अनुमति दिए जाने की कोई संभावना नहीं है। एस. 31 के विपरीत

एस का मामला। 29 .

एसएस। 31 , 63- " संपत्ति "एस में। 63 - आयोजित किया गयाः एस में अभिव्यक्ति "संपत्ति"। 63 में निर्दिष्ट अपनी व्यापक अचल संपत्ति के भीतर लेता है

एस. 31 .

क़ानूनों की व्याख्या-निषेध; नकारात्मक शब्द-आयोजितः एक अनुबंध अमान्य है यदि एक दंड के तहत एक क़ानून द्वारा निषिद्ध है, यहां तक कि

बिना स्पष्ट घोषणा के कि अनुबंध अमान्य है, क्योंकि इस तरह के दंड का तात्पर्य निषेध है-निषेध और नकारात्मक शब्द शायद ही कभी निर्देशिका हो सकते हैं-विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973-ss। 31 , 47 , 50 , 63 .

शब्द और वाक्यांश-शून्य, शून्य-चर्चा का उद्देश्य।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 जिस उद्देश्य और उद्देश्य के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 लागू किया गया था, वह था -

कुछ भुगतानों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना,

विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियों में लेन-देन, अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा और मुद्रा के आयात और निर्यात को प्रभावित करने वाले लेनदेन, देश के विदेशी मुद्रा संसाधनों के संरक्षण और देश के हितों में उनके उचित उपयोग के लिए।

देश का आर्थिक विकास। 1973 के अधिनियम की धारा 31 का घोषित उद्देश्य अचल संपत्ति से आय के प्रत्यावर्तन के माध्यम से विदेशी मुद्रा की निकासी को कम करना था।

किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा संपत्ति के निपटान के मामले में संपत्ति और बिक्री की आय, जो भारत का नागरिक नहीं है। जैसा कि शीर्षक से पता चलता है

धारा 31, यह अधिग्रहण, धारण पर प्रतिबंध लगाने के लिए है और

विदेशियों-गैर-नागरिकों द्वारा भारत में अचल संपत्ति का निपटान। उप-धारा (1) को केवल पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, आशा जॉन दीवान बनाम की पूर्व सामान्य या विशेष अनुमति के बिना भारत में स्थित किसी भी अचल संपत्ति को बेचने या उपहार में देने के लिए सक्षम नहीं है, जैसा कि इस मामले में है।

विक्रम मल्होत्रा और ओआरएस।

आरबीआइ। परंतुक में दिया गया एकमात्र अपवाद पांच साल से अधिक की अवधि के लिए पट्टे के माध्यम से अचल संपत्ति का अधिग्रहण या हस्तांतरण है। यह प्रावधान केवल विदेशी नागरिकों और विदेशी और एफ. ई. आर. ए. कंपनियों पर लागू होता है। एक अनिवासी भारतीय नागरिक इसके अंतर्गत नहीं आता है। उप-अनुभाग

(2) ऐसे व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक नहीं है, आवश्यक प्रकटीकरण करते हुए निर्धारित प्रपत्र में भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन करने के लिए अनिवार्य किया गया है। उप-धारा (3) में कहा गया है कि इस तरह के आवेदन की प्राप्ति पर, भारतीय रिजर्व बैंक उचित जांच के बाद आवेदन की गई अनुमति दे सकता है या देने से इनकार कर सकता है। उप-धारा (3) के दूसरे परंतुक में डिफ़ॉल्ट अनुमति का प्रावधान है, यदि निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदन पर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उप-धारा (4) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत में स्थित अचल संपत्ति रखता है।

1973 के अधिनियम का प्रारंभ, 1973 के अधिनियम के प्रारंभ से नब्बे दिनों के भीतर घोषणा करने के लिए बाध्य है या

आर. बी. आई. से पूर्व सामान्य या विशेष अनुमति प्राप्त करने की उम्मीद थी। तभी इस प्रकार के इच्छित हस्तांतरण को प्रभावी बनाया जा सकता है। यह सच है कि ऐसी पूर्व अनुमति लेने में विफलता के परिणामों को उसी प्रावधान में या अधिनियम में कहीं और स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया है, लेकिन फिर धारा 31 के उद्देश्य को उस इरादे के संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिसके साथ इसे अधिनियमित किया गया है, विदेशियों द्वारा निर्मित भूमि संपत्ति/भवनों में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं देने की सामान्य नीति या पूंजी से बचने के लिए उन्हें अचल संपत्ति के व्यवसाय में प्रवेश करने की अनुमति देना। प्रत्यावर्तन, जिसमें अधिनियम की धारा 47,50 और 63 जैसे अन्य प्रावधान शामिल हैं। [पैरा 13-15] [969-ई-एफ; 970-बी-सी; 971-डी-एच; 972-ए-सी]

1.2 धारा 47, उप-धारा (1) में स्पष्ट रूप से परिकल्पना की गई है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुबंध या समझौता नहीं करेगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 1973 के अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम, निर्देश या आदेश के किसी भी प्रावधान के संचालन से किसी भी तरह से बचना या बचना। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उप-धारा [2021] 1 एस. सी. आर.

इस प्रावधान के संदर्भ में समझौते का। दूसरे शब्दों में, हालांकि जाहिर तौर पर समझौता एक सशर्त होगा जो केंद्र सरकार या भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति के अधीन किया जाएगा, जैसा भी मामला हो और यदि इस तरह के शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है समझौता, यह कानून द्वारा शासित प्रत्येक अनुबंध की एक निहित अवधि होगी-समझौते में दिए गए कार्य को करने से पहले केंद्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त करने की। में।

इस अर्थ में, ऐसा शब्द एक वैधानिक अनुबंध का रंग लेता है। विशेष रूप से, 1973 के अधिनियम की धारा 47 1973 के अधिनियम के तहत आने वाले सभी अनुबंधों या समझौतों पर लागू होती है, जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। धारा 50 इस स्थिति को मजबूत करती है कि एक व्यक्ति द्वारा भारत में स्थित भूमि का हस्तांतरण, जो भारत का नागरिक नहीं है, दंड के साथ किया जाएगा। 1973 के अधिनियम की धारा 63 अदालत को धारा 56 के तहत उल्लंघन का मुकदमा चलाने का अधिकार देती है।

1973 के अधिनियम की धारा 51 के तहत मुद्रा, प्रतिभूति या किसी अन्य धन या संपत्ति को जब्त करना शामिल है, जिसके संबंध में उल्लंघन किया गया है। अभिव्यक्ति " धारा 63 में "संपत्ति", 1973 के अधिनियम की धारा 31 में निर्दिष्ट अचल संपत्ति को अपने व्यापक दायरे में लेती है। इसे अलग तरह से रखने के लिए, धारा 31 में निर्दिष्ट आवश्यकता अनिवार्य है और इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व सामान्य या विशेष अनुमति के बिना किसी विदेशी नागरिक की अचल संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित उपहार सहित अनुबंध या समझौता, कानून में अप्रवर्तनीय होगा। [पारस 16-18] [974-E-H; 975-B-C]

धुरंधर प्रसाद सिंह बनाम। जय प्रकाश विश्वविद्यालय और अन्य। (2001) 6 एससीसी 534: 2001 (3) एस. सी. आर. 1129 पर भरोसा किया

पर।

आर. वी. पैडिंगटन मूल्यांकन अधिकारी, पीची संपत्ति निगम के पूर्व अधिकारी। लिमिटेड (1965) 2 सभी ई. आर. 836-संदर्भित

को।

1.3 एक अनुबंध अमान्य है यदि एक दंड के तहत एक कानून द्वारा निषिद्ध है, यहां तक कि स्पष्ट घोषणा के बिना कि अनुबंध अमान्य है, क्योंकि इस तरह के दंड का अर्थ एक निषेध है। इसके अलावा, यह तय किया गया है कि निषेध और नकारात्मक शब्द शायद ही कभी निर्देशिका हो सकते हैं।

आशा जॉन दिव्यानथन बनाम। विक्रम मल्होत्रा और ओआरएस।

1973 की धारा 31 के तहत प्रदान की गई वर्तमान व्यवस्था अधिनियम को उसी अधिनियम की धारा 47,50 और 63 के साथ पढ़ा जाता है, हालांकि यह पूर्व अनुमति लेने का मामला हो सकता है, यह निषेध की प्रकृति का है। प्रत्येक मामले में जहां एक क़ानून एक कार्य करने के लिए जुर्माना लगाता है, हालांकि, अधिनियम निषिद्ध नहीं है, फिर भी बात गैरकानूनी है क्योंकि इसका उद्देश्य यह नहीं है कि एक क़ानून एक

एक वैध कार्य के लिए दंड। जब सार्वजनिक नीति के किसी आधार पर कुछ करने से रोकने के उद्देश्य से कानून द्वारा जुर्माना लगाया जाता है, तो निषिद्ध कार्य, यदि किया जाता है, तो शून्य माना जाएगा, भले ही लगाया गया जुर्माना लागू करने योग्य न हो।

[पैरा 20] [977-डी-जी]

मन्नालाल खेतान और अन्य। वी. केदार नाथ खेतान और अन्य। (1977) 2 एससीसी 424: 1977 (2) एस. सी. आर. 190 पर भरोसा किया।

1.4 1973 के अधिनियम की धारा 31 के विश्लेषण से और उसी की धारा 47,50 और 63 के साथ संयुक्त रूप से पढ़ने पर

अधिनियम, यह माना जाता है कि बिक्री विलेख या उपहार विलेख को निष्पादित करने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक से "पूर्व" अनुमति लेने की आवश्यकता सर्वोत्कृष्टता है और ऐसा करने में विफलता को हस्तांतरण को कानून में अप्रवर्तनीय बनाना चाहिए। धारा के तहत वितरण

31 हस्तांतरण प्रभावी होने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक की "पूर्व" या "पूर्व" अनुमति अनिवार्य करता है। क्योंकि, भारतीय रिज़र्व बैंक किसी दिए गए मामले में अनुमति देने से इनकार करने के लिए सक्षम है। आर. बी. आई. द्वारा ऐसी अनुमति दिए जाने के बाद ही बिक्री या उपहार को प्रभावी बनाया जा सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है। 1973 के अधिनियम की धारा 31 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व कार्योत्तर अनुमति दिए जाने की कोई संभावना नहीं है।

धारा 29 के मामले में इसके विपरीत। ऐसी अनुमति देने से पहले, यदि बिक्री विलेख या उपहार विलेख को प्रभावित व्यक्ति द्वारा चुनौती दी जाती है समान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से और अदालत इसे अमान्य घोषित करती है, दस्तावेज़ पंजीकृत होने के बावजूद, इस तरह के विलेख के तहत प्राप्तकर्ता या लाभार्थी को कोई स्पष्ट अधिकार नहीं दिया जाएगा।

स्पष्ट शीर्षक आगे बढ़ेगा और विलेख केवल तभी प्रभावी हो सकता है जब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1973 के अधिनियम की धारा 31 के तहत इस तरह के लेन-देन की अनुमति दी जाए। सामान्य नीति के आलोक में कि

विदेशियों को भारत में अचल संपत्ति के साथ सौदा करने की अनुमति/अनुमति नहीं दी जानी चाहिए; 1973 के अधिनियम की धारा 31 में निर्दिष्ट लेनदेन में शामिल होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति लेने की आकस्मिक शर्त और निम्नलिखित मामलों में दंड के परिणाम:

उल्लंघन, भारत में स्थित अचल संपत्ति का हस्तांतरण [2021] 1 एस. सी. आर.

इस तरह के लेनदेन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। वह प्रत्यक्ष कार्रवाई या यहां तक कि संपार्श्विक या अप्रत्यक्ष चुनौती के माध्यम से भी चुनौती स्थापित कर सकता है। इस प्रकार, जब तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है, यह अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के साथ पठित धारा 10 के अर्थ के भीतर एक वैध अनुबंध या समझौता नहीं होगा। क्योंकि, यह तब तक एक निषिद्ध लेन-देन बना रहता है जब तक कि भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमति प्राप्त नहीं की जाती है। यह तथ्य कि आर. बी. आई. द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद लेन-देन को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेन-देन को उस समय कम निषिद्ध नहीं बनाता है जब इसे किया जाता है। फिर भी यह जनता के खिलाफ लेन-देन का मामला होगा नीति और इस प्रकार, गैरकानूनी। [पारस 25-27] [982-B-H; 983-A]

भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड और अन्य। (1986) 1 एससीसी 264: 1985 (3) पूरक। एससीआर 909 - पीछा किया।

1.5 धारा 31 में निर्दिष्ट उल्लंघन के लिए धारा 50 के तहत जुर्माने के प्रावधान का मतलब यह नहीं है कि भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति की आवश्यकता निर्देशिका या केवल औपचारिकता है। यह विधायिका के लिए खुला है कि वह उल्लंघन के लिए दो अलग-अलग परिणाम प्रदान करे। इसके अलावा, 1973 के अधिनियम की धारा 63 स्पष्ट रूप से उस संपत्ति को संदर्भित करती है जिसके संबंध में केंद्र सरकार को जब्त करने के लिए उल्लंघन किया गया है। उसमें "संपत्ति" शब्द निश्चित रूप से अधिनियम की धारा 31 में निर्दिष्ट अचल संपत्ति को अपने दायरे में ले लेगा। धारा 63 में "संपत्ति" शब्द एक समावेशी शब्द है और इसलिए यह मानने का कोई कारण नहीं है कि जब्ती का परिणाम अचल संपत्ति पर लागू नहीं हो सकता है। जो धारा 31 की उप-धारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ था। भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना उपहार विलेख का लेन-देन अमान्य नहीं हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से कानून में तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसी अनुमति नहीं दी जाती है।

[पैरा 29,30] [983-जी-एच; 984-सी-ई]

1.6 अनुभाग द्वारा कवर किए गए लेन-देन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व सामान्य या विशेष अनुमति लेने की आवश्यकता 31 1973 अधिनियम अनिवार्य है। परिणामस्वरूप, आशा जॉन दीवानथन की कोई भी बिक्री या उपहार v.

विक्रम मल्होत्रा और ओआरएस।

इसके उल्लंघन में किसी विदेशी द्वारा भारत में स्थित संपत्ति कानून में अप्रवर्तनीय होगी। प्रतिवादी सं. के पक्ष में 11.03.1977 और 19.04.1980 दिनांकित कथित उपहार विलेख। 1 होने के नाते

कानून में अप्रवर्तनीय, प्रत्यर्थी नं। 1 डॉ. 'टी. सी.' को हस्तांतरित करने का कोई स्पष्ट अधिकार नहीं था, कथित बिक्री विलेख दिनांक 15.09.2005 के माध्यम से। हस्तांतरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से "पूर्व" सामान्य या विशेष अनुमति प्राप्त करने की 1973 के अधिनियम की धारा 31 में पूर्वनिर्धारित शर्त

या बिक्री द्वारा भारत में स्थित अचल संपत्ति का निपटान या

एक व्यक्ति द्वारा बंधक, जो भारत का नागरिक नहीं है, अनिवार्य है। जब तक ऐसी अनुमति नहीं दी जाती है, तब तक कानूनी रूप से, हस्तांतरण को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है और उस आवश्यकता का उल्लंघन करने के लिए, संबंधित व्यक्ति को धारा 50 के तहत दंड और 1973 के अधिनियम में प्रदान किए गए अन्य परिणामों के साथ देखा जा सकता है। [पारस 35,36,38] [987-डी-ई; 988-ए-सी]

1.7 एक प्राथमिकता, संबंधित उच्च न्यायालयों के निर्णय यह विचार रखते हुए कि 1973 के अधिनियम की धारा 31 अनिवार्य नहीं है और इसके उल्लंघन में लेन-देन अमान्य या अप्रवर्तनीय नहीं है, एक अच्छा कानून नहीं है। हालांकि, सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत के फैसले के आधार पर पहले से ही अंतिम हो चुके लेनदेन को फिर से खोलने या बाधित करने की आवश्यकता नहीं है।

इस घोषणा के कारण किसी भी तरह से। यह घोषणा/निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी किया जा रहा है। क्योंकि, विदेशियों द्वारा निवेश की सामान्य नीति में एक आदर्श बदलाव आया है

भारत में और विशेष रूप से, 1973 का अधिनियम स्वयं निरस्त कर दिया गया है। विपरीत दृष्टिकोण रखने वाले उच्च न्यायालयों के निर्णय हैं -

हालांकि, संभावित रूप से खारिज कर दिया गया। निचली अदालत के विवादित फैसले और डिक्री, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, को दरकिनार कर दिया गया है। 1984 का O.S.No.10079 अपीलार्थी के पूर्ववर्ती और प्रत्यर्थी सं। 4 वादी के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। अपीलार्थी (वादी का कानूनी प्रतिनिधि होने के नाते) मुकदमे की संपत्ति का मालिक होने के नाते उस पर कब्जा करने का हकदार है और उस प्रासंगिक अवधि के लिए भी जिसके लिए आदेश 20 के तहत एक अलग जांच की जानी चाहिए।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का नियम 12। [पैरा 39,40] [988 - डी-जी]

प्यारा सिंह बनाम। जगतर सिंह और अन्र। ए. आई. आर. 1987 पंजाब और हरियाणा 93; आर. सांबशिवम बनाम।

1 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धनभाग्यम 2001-1-L. W. 161 ; अजीत प्रसाद जैन बनाम। एन. के. विधानी और अन्य। एयर 1990 डेल 42; तुफानु

चौहान और ओआरएस। वी. मो. अब्दुर रहमान और ओआरएस। (1993) 1 गौ एल. आर. 305; गीता रेनबोथ बनाम। श्रीमती जे. क्लेर्स ब्रॉयर एल. आर. के माध्यम से। श्रीमती चेरिल ब्रोहियर गोसेन्स और ओआरएस। (2005) 1 सांसद एल. जे. 122; शिवप्रकाशम बनाम। इलनगोवन और

ओआरएस। (2010) 3 एम. डब्ल्यू. एन. (सिविल) 525; माथु श्री अक्कबाई अम्मानी चैरिटेबल ट्रस्ट और अन्य। वी. समिकन्नू (2013) 1 एल. डब्ल्यू. 136-खारिज।

रेनुसागर पावर कं. लिमिटेड बनाम जनरल इलेक्ट्रिक कं. 1994 पूरक (1) एस. सी. सी. 644: 1993 (3) पूरक। एससीआर 22; विजय करिया और अन्य। वी. प्रिस्मियन कवि ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और अन्य। (2020) 11 एस. सी. सी. 1; धुरंधर प्रसाद सिंह बनाम। जय प्रकाश विश्वविद्यालय और अन्य। (2001) 6 एससीसी 534: 2001 (3) एस. सी. आर. 1129-पर निर्भर।

जानकी बाई बनाम। रतन मेलू एयर 1962 एम. पी. 117-प्रतिष्ठित। जोकिम मस्कारेनहास फिउज़ा बनाम। जेमी रेबेलो और एनर।

1986 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 234; श्रीमती शोभा विश्वनाथ बनाम। डी. पी. किंग्सले 1996 (I) सी. टी. सी. 620-अनुमोदित।

भारत संघ और अन्य। वी. ए. के. पांडे (2009) 10 एस. सी. सी. 552: 2009 (14) एस. सी. आर. 528; भारत संघ बनाम। कर्नल एल. एस. एन. मूर्ति और अन्र. (2012) 1 एससीसी 718: 2011 (13) एस. सी. आर. 295; श्री लाचू मल बनाम। श्री राधे श्याम (1971) 1 एस. सी. सी. 619; वामन राव और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। (1981) 2 एससीसी 362: 1981 (2) एस. सी. आर. 1; घेरूलाल परख बनाम। महादेव माइया और अन्य। ए. आई. आर 1959 एस. सी

781 : 1959 पूरक। एससीआर 406; रतन चंद हीरा चंद बनाम। एल. आर. और अन्य द्वारा अस्कर नवाज (मृत)। 1991 (3) एससीसी 67: 1991 (1) एस. सी. आर. 327 संदर्भित है।

सहरुवन नचैर और अन्र। वी. वी. एस. मोहम्मद हुसैन मारकेयर (2001) 1 मैड एलजे 188; विलियम बाबू और एनर। वी. हेल्मा रॉय उपनाम एमिली कार्मेल (2018) 1 के. एल. जे. 525;

बहरीलाल मौदगी बनाम। सरकार के सचिव। ए. पी. गृह विभाग, हैदराबाद और अन्य। 1986 (2) एएलटी 241

- संदर्भित किया गया।

आशा जॉन दिव्यानथन बनाम। विक्रम मल्होत्रा और ओआरएस।

हर्बर्ट वैग एंड कंपनी लिमिटेड, री (1956) 1 सीएच 323

- संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1985] 3 पूरक। एससीआर 909

पीछा किया।

पै

रा 7

[1993] 3 पूरक। एससीआर 22

उस पर भरोसा करें

पै

रा 7

(2020) 11 एससीसी 1

उस पर भरोसा करें

पै

रा 7

[1981] 2 एससीआर 1

पै

रा 9

संदर्भित किया गया है

[2001] 3 एससीआर 1129

उस पर भरोसा करें

पै

रा 19

[1977] 2 एससीआर 190

उस पर भरोसा करें

पै

रा 20

[2009] 14 एससीआर 528

संदर्भित किया गया है

पै

रा 21

[2011] 13 एससीआर 295

संदर्भित किया गया है

पै

रा 21

(1971) 1 एससीसी 619

पै

रा 21

संदर्भित किया गया है

[1959] पूरक। एससीआर 406

संदर्भित किया गया है

पै

रा 34

[1991] 1 एससीआर 327

संदर्भित किया गया है

पै

रा 34

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 9546

2010 से।

उच्च न्यायालय के 01.10.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2001 के आर. एफ. ए. सं. 1001 में बैंगलोर में कर्नाटक का।

सी. आर्यमा सुंदरम, Sr.Adv।, नवकेश बत्रा, संदीप नारायण,

बी. आर. धनलक्ष्मी, एम/एस. एस. नारायण एंड कंपनी, यतीश मोहन, सुभाष चंद्र सागर, ई. सी. विद्या सागर, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे.

1. इस अपील में केंद्रीय मुद्दा की धारा 31 के संदर्भ में है

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 1. जाहिर है, उस प्रावधान के उल्लंघन में किया गया लेन-देन (1973 के अधिनियम की धारा 31 में निर्दिष्ट) अमान्य है या केवल अमान्य है और इसे किसके कहने पर रद्द किया जा सकता है?

2. निर्विवाद तथ्य यह है कि एक श्रीमती एफ. एल. रायट, की विधवा

स्वर्गीय श्री चार्ल्स रायट, एक विदेशी और संपत्ति के मालिक

प्रश्न किया, बिना प्राप्त किए उत्तरदाता नंबर 1 (विक्रम मल्होत्रा) को उपहार में दिया

1 संक्षेप में, "1973 का अधिनियम" [2021] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारतीय रिजर्व बैंक 2 की धारा 31 के तहत पूर्व अनुमति

1973 का अधिनियम। इसके अलावा, उपहार विलेख को निष्पादित करने से पहले, उन्होंने एक श्री आर. पी. डेविड, अपीलार्थी (आशा जॉन दिवियानाथन) के पिता और प्रतिवादी नंबर 4 (श्रीमती आर. पी. डेविड, श्री आर. पी. डेविड की पत्नी) के पति के पक्ष में बिक्री समझौते को निष्पादित किया था। उस समझौते को 05.04.1976 पर निष्पादित किया गया था जिसके तहत अनुसूची संपत्ति का स्वामित्व विलेख था

श्रीमती एफ. एल. रायट द्वारा स्वर्गीय श्री आर. पी. डेविड को दिया गया। हालांकि, श्रीमती एफ. एल. रायट ने 12,306 वर्ग मीटर की अनुसूचित संपत्ति के हिस्से को उपहार में दिया।

1973 की धारा 31 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति लिए बिना प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में दिनांकित उपहार विलेख के माध्यम से

एक्ट करें। इसके बाद उन्होंने 19.04.1980 पर प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में एक पूरक उपहार विलेख निष्पादित किया। यहां तक कि इस विलेख को श्रीमती एफ. एल. रायट द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना निष्पादित किया गया था। प्रत्यर्थी ने दावा किया कि श्रीमती एफ. एल. रायट द्वारा उनके पक्ष में एक पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित किया गया था।

श्री आर. पी. डेविड (पूर्ववर्ती) के पक्ष में अनुसूचित संपत्ति को बेचने के लिए अपीलार्थी और प्रत्यर्थी की सं। 4) 04.12.1982 पर, उसके बाद श्री पीटर जे. फिलिप के पक्ष में एक पावर ऑफ अटॉर्नी दिनांकित 26.01.1983। कि 1973 के अधिनियम की धारा 31 के तहत श्री आर. पी. डेविड के पक्ष में लेन-देन को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से औपचारिक अनुमति मांगी गई थी।

सम्पत्ति No.12 (पुराना No.10A), मगराथ रोड, श्री आर. पी. डेविड (अपीलार्थी के पूर्ववर्ती और उत्तरदाता नं। 4) . भारतीय रिज़र्व बैंक की उक्त अनुमति के परिणामस्वरूप, श्रीमती एफ. एल. रायट द्वारा श्री आर. पी. डेविड (अपीलार्थी के पूर्ववर्ती और प्रतिवादी संख्या 4) के पक्ष में एक पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित किया गया।

लंबित मुकदमे में प्रतिनिधि। श्री आर. पी. डेविड (अपीलार्थी के पूर्ववर्ती और प्रतिवादी संख्या 4) और अन्य लोगों ने तब ओ. एस. No.10079 दाखिल किया। 2 संक्षेप में, "द आर. बी. आई". आशा जॉन दीवानथन बनाम।

विक्रम मल्होत्रा और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

1984 प्रत्यर्थी संख्या 1 (विक्रम मल्होत्रा) के खिलाफ 10.02.1984 पर यह प्रार्थना करते हुए कि बड़ी संपत्ति के 12,306 वर्ग फुट के हिस्से के संबंध में कथित रूप से निष्पादित उपहार विलेख और पूरक विलेख को अमान्य घोषित किया जाए।

और बाध्यकारी नहीं और परिणामस्वरूप कब्जे, स्थायी निषेधाज्ञा और अन्य लाभों की राहत के लिए। श्री आर. पी. डेविड (अपीलार्थी के पूर्ववर्ती और प्रतिवादी संख्या 4) ने भी श्रीमती के खिलाफ 1984 का ओ. एस. No.10155 दायर किया।

इंग्रिड एल. ग्रीनवुड और श्री क्लाइव ग्रीनवुड, जो श्रीमती एफ. एल. रायट के शीर्षक में उत्तराधिकारी होने का दावा कर रहे थे, 35,470 वर्ग फुट की पूरी संपत्ति No.12 (पुरानी No.10) की घोषणा और कब्जे के लिए। तीनों मुकदमों की सुनवाई और फैसला सिटी सिविल एंड सेशन जज, मेयो, बैंगलोर 3 द्वारा किया गया था।

3. श्रीमती एफ. एल. रायट और श्रीमती इंग्रिड एल. ग्रीनवुड द्वारा दायर 1983 के मुकदमे के संबंध में, निचली अदालत ने मुकदमा दायर किया था।

जितने 11 मुद्दे हैं, वे इस प्रकार हैं:

" 1) क्या वादी यह साबित करते हैं कि दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में पहले वादी द्वारा निष्पादित दिनांक 26.1.83 की शक्ति धोखाधड़ी, गलत प्रतिनिधित्व और अनुचित प्रभाव से प्राप्त की गई थी

और वही उसकी जानकारी के बिना लिया गया था?

3) क्या वादी स्थायी निषेधाज्ञा के हकदार हैं प्रतिवादी को रोकना-2 किसी भी तरह से बल पर कार्य करने से

उस उद्देश्य के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी धारक? 6) क्या वादी घोषणा के लिए हकदार हैं

बिक्री विलेख को रद्द करना। 9.4.1983 ?

3 संक्षेप में, "द ट्रायल कोर्ट" [2021] 1 एस. सी. आर.

7) क्या वादी आगे यह साबित करते हैं कि वे वास्तविक हैं और

मुक़दमा अनुसूची संपत्ति का वैध कब्जा?

8) क्या प्रतिवादी यह साबित करते हैं कि बिक्री विलेख वास्तविक है

दस्तावेज़ और वही वादी पर बाध्यकारी है? 9) क्या वादी स्थायी निषेधाज्ञा के लिए हकदार हैं

प्रार्थना की?

10) पक्ष किस राहत के हकदार हैं?

11) कौन सा आदेश या फरमान?

अभिलेख पर अभिवचनों और साक्षय का विश्लेषण करने के बाद, निचली अदालत ने 31.08.2001 दिनांकित निर्णय और डिक्री के माध्यम से इस मुकदमे को खारिज करने के लिए आगे बढ़े। यह निर्णय वर्तमान अपील का विषय नहीं है।

4. श्री आर. पी. डेविड (अपीलार्थी के पूर्ववर्ती और प्रत्यर्थी संख्या 4) द्वारा 1984 के <आई. डी. 1 होने के कारण दायर किए गए मुकदमे में, विचारण न्यायालय ने 9 मुद्दों को निम्नानुसार तैयार किया:

" 1. क्या वादी यह साबित करते हैं कि स्वर्गीय फ्लोरेंस एल. रायट मृतक आर. पी. डेविड के पक्ष में पूरी सूट संपत्ति बेचने के लिए सहमत हुए थे?

2. क्या वे आगे यह साबित करते हैं कि फ्लोरेंस एल. रायट ने Rs.One लाख प्राप्त करने के बाद 04.12.1982 दिनांकित एक अनुमोदित समझौते को निष्पादित किया

प्रतिवाद किया?

3. क्या प्रतिवादी के पक्ष में दिनांकित 11.03.1977 का उपहार विलेख और दिनांकित 19.04.1980 का पूरक विलेख विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के प्रावधानों द्वारा अमान्य है, जैसा कि

आरोप लगाया?

4. क्या प्रतिवादी यह साबित करता है कि उक्त दस्तावेज और लेन-देन विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 से प्रभावित नहीं हैं और

क्या वे कानून में वैध हैं?

5. क्या प्रतिवादी यह साबित करता है कि श्री पीटर फिलिप के पक्ष में फ्लोरेंस एल. रायट द्वारा निष्पादित जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी सच नहीं है और

प्रतिवादी?

7. क्या वादी यह साबित करते हैं कि वे पिछले मामले की वसूली के हकदार हैं?

Rs.200/- प्रति माह की दर से लाभ?

ए जॉन दिव्यानथन बनाम। विक्रम मल्होत्रा और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

8. क्या वादी घोषणा, अधिकार और निषेधाज्ञा के हकदार हैं? 9. कौन सी राहत या फरमान?

अभिलेख पर अभिवचनों और साक्षय का विश्लेषण करने के बाद, मुकदमे ने अलग-अलग निर्णय और दिनांक 31.08.2001 के डिक्री के माध्यम से संतुष्ट किया।

इस सूट को भी मिस करें।

5. अपीलार्थी और प्रत्यर्थी नं. के श्री आर. पी. डेविड द्वारा दायर तीसरे मुकदमे पर विचार करते हुए। 4) , ट्रायल कोर्ट तैयार किया गया

मुकदमा, जो इस प्रकार पढ़ता है:

9.4.83 ? 2) क्या वादी आगे यह साबित करता है कि श्रीमती फ्लोरेंस एल. रायट ने पक्ष में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दिनांक 26.1.83 को निष्पादित किया

श्री पीटर फिलिप की अपनी मर्जी से?

3) क्या प्रतिवादी यह साबित करता है कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी डीटी। 26.1.1983 धोखाधड़ी, गलत निरूपण, जबरदस्ती द्वारा प्राप्त किया गया था, अनुचित प्रभाव और विश्वासघात?

4) क्या प्रतिवादी आगे यह साबित करते हैं कि वाद अनुसूची संपत्ति प्रतिवादी को वसीयत की गई थी-1 निष्पादित वसीयत के तहत श्रीमती फ्लोरेंस रायट द्वारा पूरी तरह से और बिना शर्त?

5) क्या प्रतिवादी आगे यह साबित करते हैं कि प्रतिवादी 1 मुकदमा अनुसूची संपत्ति के वास्तविक कब्जे में पूर्ण मालिक है? 6) क्या दूसरा प्रतिवादी मुकदमे का एक आवश्यक पक्षकार है?

7) क्या वादी उस घोषणा का हकदार है जिसके लिए प्रार्थना की गई है?

8) क्या वादी बहुत अधिक लाभ का हकदार है? यदि ऐसा है तो

किस दर पर?

9) क्या वादी वाद अनुसूची संपत्ति के कब्जे का हकदार है?

10) कौन सा आदेश या फरमान?

अभिलेख पर अभिवचनों और साक्षय का विश्लेषण करने के बाद, मुकदमे ने अलग-अलग निर्णय और दिनांक 31.08.2001 के डिक्री के माध्यम से संतुष्ट किया।

मुकदमा निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाना चाहिए:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" आदेश

वादी का मुकदमा तय किया जाता है। वादी को एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि वह मुकदमे की संपत्ति का पूर्ण मालिक है और वह 1990 के अंत तक 9.1.84 से बहुत अधिक लाभ का हकदार है। इसके निर्धारण के लिए आदेश 20 नियम 12 सी. पी. सी. के तहत अलग से जांच शुरू की जाएगी।

मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कोई आदेश नहीं

लागतें। तदनुसार डिक्री बनाएँ "।

यह निर्णय भी वर्तमान अपील का विषय नहीं है।

6. हालाँकि, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 4 के साथ बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष पहली अपील दायर की थी।

1984 के ओ. एस. No.10079 में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 31.08.2001 के विरुद्ध 2001 का आर. एफ. ए. <आई. डी. 2. इस अपील में, इसलिए, सीमित मुद्दा दिनांकित उपहार विलेख और दिनांकित पूरक विलेख की वैधता के बारे में है जो दोनों प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में श्रीमती एफ. एल. रायट द्वारा निष्पादित किए गए थे।

12, 306 वर्ग फुट में फैली बड़ी संपत्ति का हिस्सा। जहाँ तक उक्त चुनौती के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष का संबंध है, उच्च न्यायालय ने उसी के साथ सहमति व्यक्त की, लेकिन 1973 के अधिनियम की धारा 31 का उल्लंघन करने वाले कथित उपहार विलेखों की वैधता के बारे में उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा उठाए गए एकमात्र कानूनी बिंदु की जांच करने के लिए आगे बढ़ा और इसलिए, कानून में शून्य और अप्रवर्तनीय है। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश अनिवार्य रूप से प्यारा सिंह बनाम के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हैं। जगतर सिंह और Anr.4 ने उक्त को नकारात्मक कर दिया। चुनौती दी और कहा कि 1973 के अधिनियम की धारा 31 के तहत अनुमति की कमी विषय उपहार विलेखों को शून्य के रूप में कम अवैध और अप्रवर्तनीय नहीं बनाती है। तदनुसार, अपीलार्थी और प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा संयुक्त रूप से दायर पहली अपील को खारिज कर दिया गया।

निर्णय और डिक्री दिनांकित 01.10.2009।

7. वर्तमान अपील में, अपीलार्थी द्वारा आग्रह किया गया एकमात्र बिंदु यह है कि उक्त उपहार विलेख दिनांक 11.03.1977 और 19.04.1980 के पक्ष में हैं -

प्रत्यर्थी संख्या 1 अमान्य है और अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या पर बाध्यकारी नहीं है। 4 ; और किसी भी मामले में 1973 के अधिनियम की धारा 31 के अधिदेश के आलोक में कानून में अप्रवर्तनीय हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार,

विक्रम मल्होत्रा और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

उक्त प्रावधान में निर्दिष्ट व्यवस्था अनिवार्य है और नहीं

इसके उल्लंघन में लेन-देन कानून में लागू करने योग्य होगा। उस स्थिति को उसी अधिनियम की धारा 47 द्वारा प्रबलित किया गया है। इसके अलावा, धारा 31 के उल्लंघन को भी 1973 के अधिनियम की धारा 50 के तहत दंडनीय बनाया गया है। इस निवेदन के समर्थन में, भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के आदेश पर निर्भरता रखी गई है। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड और Ors.[3]। रेनुसागर में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों पर भी रिलायंस को रखा गया है।

पावर कं. लिमिटेड बनाम। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी और विजय करिया एंड ओआरएस। वी. Prysmian Cavi E Sistemi SRL & Ors.7। अपीलार्थी के अनुसार, प्यारा सिंह (ऊपर) में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के साथ वजन किए गए कारण स्पष्ट रूप से गलत हैं। उस निर्णय ने 1973 के अधिनियम की धारा 31 के सही दायरे और उद्देश्य का सही विश्लेषण नहीं किया है। दृष्टिकोण। आर. सांबशिवम बनाम में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया समान दृष्टिकोण। पियारा सिंह (ऊपर) में निर्णय के बाद, थंगवेलु धनभाग्यम 3, उसी त्रुटि से ग्रस्त है। इसी तर्ज पर विभिन्न उच्च न्यायालयों ने धारा 31 का अर्थ यह समझा है कि -

इसके उल्लंघन में लेन-देन अमान्य नहीं है। (अजीत प्रसाद जैन बनाम देखें। एन. के. विधानी और अन्य। ' , तुफानू चौहान और अन्य। वी. मो. अब्दुर रहमान और Ors.10, गीता रेनबोथ बनाम। श्रीमती जे. क्लेर्स ब्रॉयर एल. आर. के माध्यम से। श्रीमती चेरिल ब्रोहियर गोसेन्स और अन्य "। , शिवप्रकाशम बनाम। इलनगोवन और माथु श्री अक्कबाई अम्मानी चैरिटेबल

ट्रस्ट और ओआरएस। वी. समीकन्नु 1)। 1973 के अधिनियम की धारा 31 के उद्देश्य से संबंधित विभिन्न उच्च न्यायालयों के किसी भी निर्णय में ऐसे सिद्धांत को लागू नहीं किया गया है जो न्यायिक जांच की कसौटी पर खरा उतरे। यह आग्रह किया जाता है कि कोई भी लेन-देन, जो 1973 के अधिनियम की धारा 31 का उल्लंघन करता है, तब तक कानून में अप्रवर्तनीय होगा जब तक कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी अनुमति नहीं दी जाती है और इस कारण से, विचाराधीन उपहार विलेखों को प्रतिवादी संख्या 1 को प्रभावी नहीं किया जा सकता है या उनका कोई फायदा नहीं होगा। इसके बजाय, पूरी संपत्ति

No.12 (पुराना No.10A), 35,470 वर्ग फुट का मागराथ रोड, श्री आर. पी. डेविड (अपीलार्थी के पूर्ववर्ती और यहाँ प्रतिवादी संख्या 4) के पक्ष में वैध रूप से हस्तांतरित किया गया था। तब यह आग्रह किया जाता है कि इसके बावजूद 5 (1986) 1 एससीसी 264

6 1994 पूरक (1) एस. सी. सी. 644

8 2001-1 - एल. डब्ल्यू. 161 9 9 ए. आई. आर. 1990 डेल 42 (पैरा 26) 10 (1993) 1 गौ एल. आर. 306 (पैरा 5 और 6) 1 11 (2005) 1 एम. पी. एल. जे. 122 (पैरा 12 से 16)

1 2 (2010) 3 एम. डब्ल्यू. एन. (सिविल) 525 (पैरा 15 और 16): 2010 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 4245

(2013) 1 एलडब्ल्यू 136 (पैरा 16): 2012 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 2769

विचाराधीन उपहार विलेखों को अमान्य नहीं करेगा। यह आग्रह किया जाता है कि चूंकि धारा 31 या किसी अन्य प्रावधान में कोई परिणाम प्रदान नहीं किया गया है 1973 धारा 31 के उल्लंघन में लेन-देन को शून्य मानने के लिए अधिनियम, प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में हस्तांतरण को अप्रभावी या अमान्य नहीं माना जा सकता है। इस तरह का हस्तांतरण अमान्य होगा, वह भी केवल भारतीय रिज़र्व बैंक के कहने पर और किसी और के कहने पर नहीं। धारा 31 के तहत शर्त केवल एक नियामक उपाय है और उपहार के रूप में हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने वाला नहीं है। इस तरह के उल्लंघन के परिणाम के लिए धारा 50 के तहत दंड का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए संबंधित पक्षों पर कार्रवाई की जा सकती है।

खिलाफ। हालांकि, इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक भी शामिल है। आर. बी. आई. द्वारा अनुमति देने या अस्वीकार करने का निर्णय

स्थानांतरण को अंतिम रूप दिया जाता है। आर. बी. आई. को विशेष रूप से लेनदेन की अनुमति निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया है, जो देश की विदेशी मुद्रा के प्रबंधन का भंडार है। 9. हमारा ध्यान भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 1,4 और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया गया था ताकि यह तर्क दिया जा सके कि

अमान्य और अमान्य लेन-देन के बीच स्पष्ट अंतर है। सबसे अच्छा, प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में स्थानांतरण बाद की श्रेणी के भीतर आ सकता है। यह भी आग्रह किया जाता है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों ने

लगातार राय दी कि धारा 31 के उल्लंघन में लेन-देन को अमान्य नहीं माना जा सकता है और इस दृष्टिकोण में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। वामन राव और अन्य पर निर्भर। वी. भारत संघ और अन्य "। , तर्क यह है कि टकटकी निर्णय के सिद्धांत का पालन करते हुए, इस न्यायालय को ऐसा नहीं करना चाहिए

1987 से प्रचलित उच्च न्यायालयों के सुसंगत दृष्टिकोण को अस्वीकार करता है। यह भी आग्रह किया जाता है कि 1973 के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है और इसलिए, इस संबंध में विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए सुसंगत दृष्टिकोण को बाधित नहीं करना उचित होगा।

10. हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री नवकेश बत्रा और वरिष्ठ वकील श्री सी. ए. सुंदरम को सुना है।

प्रतिवादी नं. 1. 14 संक्षेप में, अनुबंध अधिनियम 15 (1981) 2 एस. सी. सी. 362 (पैरा 36 से 40)

आशा जॉन दीवानथन बनाम। विक्रम मल्होत्रा और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

11. यह विवाद में नहीं है कि श्रीमती एफ. एल. रायट भारत की नागरिक नहीं थीं। उन्होंने श्री आर. पी. डेविड (श्री डेविड के पूर्ववर्ती) को बिक्री के माध्यम से बड़ी संपत्ति (35,470 वर्ग फुट) में अधिकार, स्वामित्व और ब्याज हस्तांतरित किया। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 4)। हालाँकि, लगभग उसी समय, बड़ी संपत्ति (12,306 वर्ग फुट) का हिस्सा उनके द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को उपहार विलेखों के माध्यम से दिया गया था। श्री आर. पी. डेविड के पक्ष में बिक्री विलेख के संबंध में, जिसे पूर्व अनुमति दिए जाने के बाद ही निष्पादित किया गया था।

कानून में अप्रवर्तनीय। परिणामस्वरूप, श्री आर. पी. डेविड (अपीलार्थी के पूर्ववर्ती और प्रतिवादी संख्या 4) ने 35,470 वर्ग फुट की बड़ी संपत्ति का स्पष्ट अधिकार प्राप्त कर लिया था, जो उस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व अनुमति द्वारा समर्थित 09.04.1983 दिनांकित पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से उन्हें हस्तांतरित किया गया था। 13. 1973 के अधिनियम की धारा 31 का विश्लेषण करने से पहले, उस उद्देश्य और उद्देश्य को समझना आवश्यक है जिसके लिए 1973 के अधिनियम को लागू किया गया था। यह कुछ भुगतानों, विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियों में लेनदेन, लेनदेन से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए था।

अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा और आयात और निर्यात को प्रभावित करना मुद्रा, देश के विदेशी मुद्रा संसाधनों के संरक्षण और आर्थिक हित में उनके उचित उपयोग के लिए

देश का विकास। लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए और 1973 के अधिनियम की धारा 31 के उद्देश्य की व्याख्या करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री श्री वाई. बी. चव्हाण ने कहा:

" सामान्य नीति के रूप में यह महसूस किया गया है कि हमें विदेशियों और विदेशी नियंत्रित कंपनियों द्वारा निर्मित भूमि संपत्ति/भवनों में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं देनी चाहिए क्योंकि इस तरह के निवेश में काफी राशि की गुंजाइश होती है। पूँजी प्रत्यावर्तन के माध्यम से पूँजी देयता। हालांकि हमें अभी भी कुछ [2021] 1 एस. सी. आर. में विदेशी निवेश की आवश्यकता हो सकती है।

उद्योग की परिष्कृत शाखाएँ, इसका कोई कारण नहीं है हमें विदेशियों और विदेशी कंपनियों को प्रवेश करने देना चाहिए

अचल संपत्ति व्यवसाय "।

(जोर दिया गया)

14. 1973 के अधिनियम की धारा 31 का घोषित उद्देश्य इस प्रकार था -

अचल संपत्ति से आय के प्रत्यावर्तन के माध्यम से विदेशी मुद्रा की निकासी को कम करना और किसी व्यक्ति द्वारा संपत्ति के निपटान के मामले में बिक्री आय, जो भारत का नागरिक नहीं है। जैसा कि धारा 31 के शीर्षक से देखा गया है, यह विदेशियों-गैर-नागरिकों द्वारा भारत में अचल संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान पर प्रतिबंध लगाने के लिए है। हम 1973 के अधिनियम की धारा 31 को प्रासंगिक समय पर लागू करते हुए पुनः प्रस्तुत करना उचित समझते हैं, जो इस प्रकार है:

" 31. अचल संपत्ति के अधिग्रहण, धारण आदि पर प्रतिबंध

भारत में। — (1) कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है और न ही

कंपनी (बैंकिंग कंपनी के अलावा) जो निगमित नहीं है

भारत में लागू किसी कानून के तहत या जिसमें गैर-निवासी हित हो

चालीस प्रतिशत से अधिक है, पिछले सामान्य को छोड़कर या रिजर्व बैंक की विशेष अनुमति, अधिग्रहण या धारण या

बिक्री, बंधक, पट्टा, उपहार, निपटान या द्वारा हस्तांतरण या निपटान

अन्यथा कोई भी अचल संपत्ति भारत में स्थित है: बशर्ते कि इस उप-धारा में कुछ भी अधिग्रहण पर लागू नहीं होगा

या किसी के लिए पट्टे के माध्यम से ऐसी किसी अचल संपत्ति का हस्तांतरण

अवधि जो पाँच वर्ष से अधिक न हो।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या कंपनी और अधिग्रहण के लिए उस उप-धारा के तहत विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है,

या बिक्री, बंधक, पट्टे द्वारा धारण, या हस्तांतरण, या निपटान,

उपहार, निपटान या अन्यथा कोई अचल संपत्ति भारत इस रूप में रिजर्व बैंक को आवेदन कर सकता है।

बैंक, ऐसी जांच करने के बाद, जो उसे उचित लगे, या तो अनुदान दे सकता है। या इसके लिए आवेदन की गई अनुमति देने से इनकार करना:

बशर्ते कि किसी भी अनुमति से इनकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक करने के लिए एक उचित अवसर दिया गया है

मामले में प्रतिनिधित्व:

आशा जॉन दीवानथन बनाम। विक्रम मल्होत्रा और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

बशर्ते कि नब्बे की अवधि की समाप्ति से पहले

जिस दिन से रिजर्व बैंक द्वारा आवेदन प्राप्त किया गया था, रिजर्व बैंक आवेदक को यह नहीं बताता है कि आवेदन की गई अनुमति को अस्वीकार कर दिया गया है, यह माना जाएगा कि रिजर्व बैंक ने ऐसी अनुमति दी है।

स्पष्टीकरण। नब्बे दिनों की अवधि की गणना में

दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए, रिजर्व बैंक द्वारा आवेदक को पहले परंतुक के तहत प्रतिनिधित्व करने का अवसर देने के लिए ली गई अवधि, यदि कोई हो, को बाहर रखा जाएगा।

(4) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति और कंपनी

इस अधिनियम के प्रारंभ पर भारत में स्थित कोई भी अचल संपत्ति, ऐसे प्रारंभ से नब्बे दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले या ऐसी अतिरिक्त अवधि जो रिजर्व बैंक इस संबंध में अनुमति दे, ऐसे प्रपत्र में घोषणा करेगी जो रिजर्व बैंक द्वारा अचल संपत्ति के संबंध में निर्दिष्ट किया जाए।

ऐसे व्यक्ति या कंपनी द्वारा धारित संपत्ति या संपत्ति।

इस मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व सामान्य या विशेष अनुमति के बिना भारत में स्थित किसी भी अचल संपत्ति की बिक्री या उपहार। परंतुक में दिया गया एकमात्र अपवाद पांच साल से अधिक की अवधि के लिए पट्टे के माध्यम से अचल संपत्ति का अधिग्रहण या हस्तांतरण है। यह प्रावधान विदेशी नागरिकों और विदेशी और एफ. ई. आर. ए. पर लागू होता है। केवल कंपनियाँ। एक अनिवासी भारतीय नागरिक इसके अंतर्गत नहीं आता है। उप-धारा (2) ने ऐसे व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक नहीं है, आवश्यक बनाते हुए निर्धारित प्रपत्र में भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन करने के लिए अनिवार्य किया है।

प्रकटीकरण। उप-धारा (3) में कहा गया है कि इस तरह के आवेदन की प्राप्ति पर, भारतीय रिजर्व बैंक उचित जांच के बाद आवेदन की गई अनुमति दे सकता है या देने से इनकार कर सकता है। उप-धारा (3) के दूसरे परंतुक में एक पूर्वनिर्धारित अनुमति का प्रावधान है, यदि निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदन पर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उप-धारा (4) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत में स्थित अचल संपत्ति रखता है।

1973 के अधिनियम की शुरुआत, 1973 के अधिनियम की शुरुआत से नब्बे दिनों के भीतर या ऐसी आगे की अवधि के भीतर घोषणा करने के लिए बाध्य है जिसकी अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी जाए।

15. दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, जिसके पास भारत में स्थित अचल संपत्ति है, वह खुलासा करने के लिए बाध्य था [2021] 1 एस. सी. आर.

और उस ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक को घोषणा; और किसी भी मामले में, यदि वह बिक्री, बंधक, पट्टे, उपहार द्वारा ऐसी संपत्ति का निपटान करने का इरादा रखता है,

समझौता या अन्यथा, भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व सामान्य या विशेष अनुमति प्राप्त करने की उम्मीद थी। केवल तभी, इस तरह से इच्छित हस्तांतरण किया जा सकता है

प्रभाव दिया जाए। यह सच है कि ऐसी पूर्व अनुमति लेने में विफलता के परिणामों को उसी प्रावधान में या अधिनियम में कहीं और स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया है, लेकिन फिर धारा 31 के उद्देश्य को उस इरादे के संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिसके साथ इसे अधिनियमित किया गया है, भूमि संपत्ति में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं देने की सामान्य नीति / विदेशियों द्वारा निर्मित भवन या उन्हें पूंजी प्रत्यावर्तन से बचने के लिए अचल संपत्ति के व्यवसाय में प्रवेश करने की अनुमति देना, जिसमें अधिनियम की धारा 47,50 और 63 जैसे अन्य प्रावधानों का उद्देश्य भी शामिल है। यहाँ, हम धारा 47,50 और 63 को प्रासंगिक समय पर लागू करते हुए पुनः प्रस्तुत करना उचित समझते हैं, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

कोई भी व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए, यदि यह समझौते की एक अवधि है कि वह कार्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि केंद्र सरकार या रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है, जैसा भी मामला हो; और
यह भारत के किसी भी भाग की कानून द्वारा शासित प्रत्येक अनुबंध की एक निहित अवधि होगी कि उस अनुबंध की किसी भी अवधि द्वारा किया जाने के लिए सहमत कुछ भी जो केंद्र सरकार या रिजर्व बैंक की अनुमति के अलावा इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान द्वारा या उसके तहत किया जाना निषिद्ध है, तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि

ऐसी अनुमति दी जाती है। (
3) न तो इस अधिनियम के प्रावधान और न ही कोई अवधि (चाहे व्यक्त हो)

अनुमति, किसी भी राशि की वसूली के लिए भारत में लाई जा रही कानूनी कार्यवाही को रोकेगी, जो उक्त प्रावधानों और ऐसी किसी भी अवधि के अलावा देय होगी, चाहे वह ऋण, हर्जाने या अन्यथा के रूप में हो।

लेकिन ए जॉन दीवानथन बनाम। विक्रम मल्होत्रा और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

(क) उक्त प्रावधान किसी भी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश द्वारा भुगतान की जाने वाली आवश्यक राशियों पर लागू होंगे जैसा कि वे संबंध में लागू होते हैं। अन्य राशियों के लिए;

(ख) किसी को लागू करने के उद्देश्य से कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।

किसी भी राशि के भुगतान के लिए निर्णय या आदेश, जिसके लिए उक्त प्रावधान लागू होते हैं, सिवाय इसके कि उसके संबंध में केंद्र सरकार या रिजर्व बैंक, जैसा भी मामला हो, भुगतान करने की अनुमति दे; और

(ग) ऐसी अनुमति देना है या नहीं, इस पर विचार करने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार या रिजर्व बैंक, जैसा भी मामला हो, निर्णय या आदेश के लाभ के हकदार व्यक्ति और निर्णय या आदेश के तहत देनदार से ऐसे दस्तावेज पेश करने और ऐसी जानकारी देने की आवश्यकता हो सकती है।

जैसा कि मांग में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(4) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, न तो इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी नियम, निर्देश या आदेश के प्रावधान, और न ही कोई शर्त, चाहे वह उन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए व्यक्त की गई हो या निहित की गई हो, कि कोई भी भुगतान इस अधिनियम के तहत अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा, किसी भी लिखत को विनिमय पत्र या वचन पत्र होने से रोकता है।

***

50. दंड। — यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है [धारा 13, क्ल के अलावा। (क) धारा 18 की उप-धारा (1) और क्ल। (क) धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, निर्देश या आदेश के अधीन, वह ऐसे जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा जो ऐसे किसी उल्लंघन में शामिल राशि या मूल्य का पाँच गुना या पाँच हजार रुपये, जो भी अधिक हो, से अधिक न हो। प्रवर्तन निदेशक या प्रवर्तन के किसी अन्य अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा जो केंद्र सरकार के आदेश द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त प्रवर्तन के सहायक निदेशक के पद से कम नहीं है (दोनों मामलों में इसके बाद निर्णय अधिकारी के रूप में संदर्भित)।

***

63. मुद्रा, प्रतिभूति आदि की जब्ती। - धारा 56 के तहत उल्लंघन का प्रयास करने वाला कोई भी न्यायालय और न्यायनिर्णायक अधिकारी [2021] 1 एस. सी. आर.

धारा 51 के तहत किसी भी उल्लंघन का निर्णय लेते हुए, यदि वह उचित समझता है और किसी भी सजा या दंड के अलावा जो वह इस तरह के उल्लंघन के लिए लगा सकता है, निर्देश दे सकता है कि कोई भी मुद्रा, प्रतिभूति

या कोई अन्य धन या संपत्ति जिसके संबंध में

उल्लंघन हुआ है जिसे केंद्र सरकार को जब्त कर लिया जाएगा और आगे निर्देश दिया जाएगा कि विदेशी मुद्रा होल्डिंग्स,

यदि उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या उसके किसी हिस्से को भारत में वापस लाया जाएगा या इस संबंध में दिए गए निर्देशों के अनुसार भारत के बाहर रखा जाएगा।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, संबंधित संपत्ति

जिनका उल्लंघन हुआ है, उनमें शामिल होंगे:

(क) बैंक में जमा, जहां उक्त संपत्ति को ऐसी जमा में परिवर्तित किया जाता है; (ख) भारतीय मुद्रा, जिसमें उक्त संपत्ति को परिवर्तित किया जाता है।

वह मुद्रा;

(ग) कोई अन्य संपत्ति जो उस संपत्ति के रूपांतरण के परिणामस्वरूप हुई हो।

16. धारा 47 पर लौटते हुए, उप-धारा (1) में स्पष्ट रूप से यह परिकल्पना की गई है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुबंध या समझौता नहीं करेगा जो

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 1973 के अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम, निर्देश या आदेश के किसी भी प्रावधान के संचालन से किसी भी तरह से बचना या बचना। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उप-धारा (2) घोषणा करती है कि समझौता अमान्य नहीं होगा यदि यह प्रावधान करता है कि यह काम केंद्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।

इस प्रावधान के संदर्भ में समझौते की यह निहित आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में, हालांकि जाहिर तौर पर समझौता एक सशर्त होगा जो केंद्र सरकार या भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति के अधीन किया जाएगा, जैसा भी मामला हो और यदि समझौते में इस तरह के शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, तो यह समझौते में दिए गए काम को करने से पहले केंद्र सरकार या भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति प्राप्त करने के कानून द्वारा शासित प्रत्येक अनुबंध का एक निहित शब्द होगा। उस में

इस अर्थ में, ऐसा शब्द एक वैधानिक अनुबंध का रंग लेता है। विशेष रूप से, 1973 के अधिनियम की धारा 47 1973 के अधिनियम के तहत आने वाले सभी अनुबंधों या समझौतों पर लागू होती है, जिसके लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।

आरबीआइ।

17. धारा 50 इस स्थिति को मजबूत करती है कि एक व्यक्ति द्वारा भारत में स्थित भूमि का हस्तांतरण, जो भारत का नागरिक नहीं है, दंड के साथ किया जाएगा।

आशा जॉन दीवानथन बनाम। विक्रम मल्होत्रा और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

वास्तव में, इस तरह के प्रावधान को शामिल करने का मतलब यह नहीं है कि 1973 का अधिनियम एक दंडात्मक क़ानून है, लेकिन 1973 के अधिनियम की धारा 31 जैसे प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंडात्मक परिणाम का प्रावधान करना है।

18. 1973 के अधिनियम की धारा 63 अदालत को मुकदमा चलाने का अधिकार देती है।

धारा 56 के तहत उल्लंघन जिसमें 1973 के अधिनियम की धारा 51 के तहत एक शामिल है, मुद्रा, प्रतिभूति या किसी अन्य धन या संपत्ति को जब्त करना जिसके संबंध में उल्लंघन हुआ है। द.

धारा 63 में "संपत्ति" पद, 1973 के अधिनियम की धारा 31 में निर्दिष्ट अचल संपत्ति को अपने व्यापक दायरे में लेता है। इसे अलग तरह से कहने के लिए, धारा 31 में निर्दिष्ट आवश्यकता अनिवार्य है और इसलिए, अचल संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित उपहार सहित अनुबंध या समझौता। भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व सामान्य या विशेष अनुमति के बिना किसी विदेशी नागरिक की संपत्ति, कानून में अप्रवर्तनीय होगी।

19. इस स्तर पर, "शून्य" और "शून्य" अभिव्यक्ति के उद्देश्य को ध्यान में रखना उपयोगी हो सकता है। इसके लिए, हम विज्ञापन दे सकते हैं

धुरंधर प्रसाद सिंह बनाम के मामले में स्पष्टीकरण। जय प्रकाश विश्वविद्यालय और अन्य "। , जिसमें आर. वी. में लॉर्ड डेनिंग के कथन का उल्लेख किया गया था। पैडिंगटन मूल्यांकन अधिकारी, पीची संपत्ति निगम के पूर्व अधिकारी। Ltd.[1] और डी स्मिथ, वूल्फ और जोवेल द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा और क्लाइव लुईस द्वारा सार्वजनिक कानून में न्यायिक उपचार में भी यही पढ़ा गया है:

" 19. इस प्रश्न की जाँच अपील न्यायालय द्वारा की गई थी

आर. वी. का मामला पैडिंगटन मूल्यांकन अधिकारी, पूर्व पी. पीची संपत्ति निगम। लिमिटेड [(1965) 2 सभी ईआर 836: (1966) 1 क्यूबी 380: (1965) 3 डब्ल्यू. एल. आर. 426 (सी. ए.)] जहाँ मूल्यांकन सूची को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वह पूरी तरह से अमान्य थी। इन तथ्यों पर, लॉर्ड डेनिंग, एम. आर. ने पी. 841 इस प्रकार:

" दो प्रकार की अयोग्यता के बीच अंतर करना आवश्यक है। एक प्रकार वह है जहाँ अयोग्यता इतनी गंभीर है कि सूची पूरी तरह से शून्य है। जिस स्थिति में आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है

इसे रद्द करने के लिए। यह बिना किसी हिचकिचाहट के स्वचालित रूप से शून्य हो जाता है। दूसरा प्रकार तब होता है जब अयोग्यता सूची को पूरी तरह से शून्य नहीं बनाती है, बल्कि केवल अमान्य होती है। उस स्थिति में यह तब तक खड़ा रहता है जब तक कि इसे अलग नहीं कर दिया जाता है। वर्तमान मामले में मूल्यांकन सूची शून्य नहीं है और न ही कभी रही है। अधिक से अधिक पहला उत्तरदाता

16 (2001) 6 एस. सी. सी. 534

17 (1965) 2 सभी ई. आर. 836 [2021] 1 एस. सी. आर.

अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्य करते हुए-उस अधिकार क्षेत्र का गलत तरीके से प्रयोग किया। यह सूची को शून्य बनाता है और शून्य नहीं करता है। यह.

यह तब तक अच्छा रहता है जब तक कि इसे अलग नहीं कर दिया जाता।

20. डी स्मिथ, वूल्फ और जोवेल ने अपने ग्रंथ न्यायिक समीक्षा में

प्रशासनिक कार्रवाई, 5 वीं संस्करण। , पैरा 5-044 में शून्य और शून्य की अवधारणा का सारांश इस प्रकार दिया गया है:

" शून्य और अमान्य कृत्यों (अमान्य घोषित किए जाने तक अमान्य और वैध) के सरल द्विभाजन के पीछे शब्दावली और कष्टप्रद जटिलता की वैचारिक समस्याएं। समस्याएँ इस आधार पर उत्पन्न हुईं कि यदि कोई कार्य, आदेश या निर्णय बाहरी अधिकार क्षेत्र के अर्थ में अधिकार से बाहर है, तो इसे अमान्य या अमान्य कहा जाता था। यदि यह अंतर-अधिकार है तो यह निश्चित रूप से वैध था। यदि यह प्राधिकरण के क्षेत्र के भीतर की गई त्रुटि से त्रुटिपूर्ण है

या अधिकार क्षेत्र, इसे आमतौर पर अमान्य कहा जाता था; यानी, वैध

जब तक अपील पर अलग नहीं किया जाता है या अतीत में अभिलेख के सामने कानून की त्रुटि के लिए प्रमाणपत्र द्वारा रद्द नहीं किया जाता है।

21. क्लाइव लुईस ने सार्वजनिक कानून में न्यायिक उपचार पर अपने काम में पी। 131 "शून्य और शून्य" अभिव्यक्तियों की व्याख्या इस प्रकार की गई है:

" किसी अधिनियम की वैधता को चुनौती प्रत्यक्ष कार्रवाई या संपार्श्विक या अप्रत्यक्ष चुनौती के माध्यम से हो सकती है। एक प्रत्यक्ष कार्रवाई वह है जहाँ कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य अयोग्यता को स्थापित करना है। यह आमतौर पर न्यायिक समीक्षा के लिए एक आवेदन के माध्यम से या अपील या समीक्षा के लिए किसी भी वैधानिक तंत्र के उपयोग के माध्यम से होगा। संपार्श्विक चुनौती तब उत्पन्न होती है जब कुछ अन्य कार्यवाहियों के दौरान अयोग्यता उठाई जाती है, जिसका उद्देश्य अयोग्यता स्थापित करना नहीं है, बल्कि जहां वैधता के प्रश्न हैं।

प्रासंगिक हो जाते हैं। ”

22. इस प्रकार "शून्य और अमान्य" अभिव्यक्तियाँ अदालतों द्वारा असंख्य अवसरों पर विचार का विषय रही हैं। "शून्य" अभिव्यक्ति के कई पहलू हैं। एक प्रकार के शून्य कार्य, लेन-देन, फरमान वे हैं जो पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना हैं, शुरुआत से ही शून्य हैं और उनसे बचने के लिए कोई घोषणा आवश्यक नहीं है, कानून इसका कोई ध्यान नहीं देता है और संपार्श्विक कार्यवाही में या अन्यथा इसकी अवहेलना की जा सकती है। दूसरे प्रकार का शून्य अधिनियम, उदाहरण के लिए, एक नाबालिग के

खिलाफ लेनदेन हो सकता है जिसका प्रतिनिधित्व अगले मित्र द्वारा नहीं किया जा सकता है। इस तरह का लेन-देन एक अच्छा आशा जॉन दीवानथन बनाम है।

विक्रम मल्होत्रा और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

पूरी दुनिया के खिलाफ लेनदेन। जहाँ तक नाबालिग है

संबंधित, यदि वह इससे बचने का निर्णय लेता है और उचित कार्यवाही का सहारा लेकर लेनदेन से बचने में सफल हो जाता है। शुरू से ही शून्य हो जाता है। एक अन्य प्रकार का शून्य अधिनियम हो सकता है जो शून्य नहीं है, लेकिन इससे बचने के लिए एक घोषणा की जानी चाहिए। परिहार्य कार्य वह है जो एक अच्छा कार्य है जब तक कि इससे बचा न जाए, उदाहरण के लिए, यदि एक मुकदमा एक घोषणा के लिए दायर किया जाता है कि एक दस्तावेज़ है

धोखाधड़ी और/या जाली और मनगढ़ंत, यह अमान्य है क्योंकि मामलों की स्पष्ट स्थिति वास्तविक स्थिति है और एक पक्ष जो अन्यथा आरोप लगाता है वह इसे साबित करने के लिए बाध्य है। यदि यह साबित हो जाता है कि दस्तावेज़ जाली और मनगढ़ंत है और उस प्रभाव की घोषणा की जाती है, तो एक लेनदेन शुरू से ही अमान्य हो जाता है। एक अमान्य लेन-देन हो सकता है जिसे अलग रखने की आवश्यकता होती है और इसे उस दिन से टाला जाता है जब इसे अलग रखा जाता है न कि उससे कोई दिन पहले। ऐसे मामलों में जहां किसी दस्तावेज़ के कानूनी प्रभाव को अलग रखे बिना दूर नहीं किया जा सकता है, इसे अमान्य नहीं माना जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से अमान्य होगा।

20. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक अनुबंध अमान्य है यदि एक द्वारा निषिद्ध है

दंड के तहत कानून, यहां तक कि स्पष्ट घोषणा के बिना कि अनुबंध अमान्य है, क्योंकि इस तरह के दंड का अर्थ निषेध है। इसके अलावा, यह तय किया गया है कि निषेध और नकारात्मक शब्द शायद ही कभी निर्देशिका हो सकते हैं। उसी अधिनियम की धारा 47,50 और 63 के साथ पठित 1973 के अधिनियम की धारा 31 के तहत प्रदान की गई वर्तमान व्यवस्था में, हालांकि यह मांग करने का मामला हो सकता है।

पूर्व अनुमति यह निषेध की प्रकृति में है जैसा कि मन्नालाल खेतान और अन्य मामलों में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था। वी. केदार नाथ खेतान और अन्य "। . प्रत्येक मामले में जहां एक क़ानून एक कार्य करने के लिए जुर्माना लगाता है, हालांकि, अधिनियम निषिद्ध नहीं है, फिर भी बात गैरकानूनी है क्योंकि इसका उद्देश्य यह नहीं है कि एक क़ानून एक वैध कार्य के लिए जुर्माना लगाएगा। जब के प्रयोजन के लिए कानून द्वारा दंड लगाया जाता है

सार्वजनिक नीति के किसी आधार पर कुछ करने से रोकने के लिए, निषिद्ध कार्य, यदि किया जाता है, तो उसे शून्य माना जाएगा, भले ही लगाया गया जुर्माना लागू करने योग्य न हो। हम उपयोगी रूप से उक्त सूचित निर्णय के पैराग्राफ 18 से 22 को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं, जो

इसे इस प्रकार पढ़िए:

" 18. उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 108 में निहित प्रावधान निर्देशिका हैं क्योंकि अधिनियम की धारा 108 का पालन न करना अपराध घोषित नहीं किया जाता है। इसका कारण बताया गया है

उच्च न्यायालय यह है कि जब कानून परिणाम निर्धारित नहीं करता है या गैर के लिए दंड निर्धारित नहीं करता है

629 ((क) अधिनियम। अधिनियम की धारा 629 (ए) उस दंड को निर्धारित करती है जहां अधिनियम में कहीं और कोई विशिष्ट दंड का प्रावधान नहीं है। यह है। प्रत्येक मामले में निर्माण का प्रश्न क्या विधायिका का उद्देश्य अधिनियम को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना था, या केवल उस व्यक्ति को उत्तरदायी बनाना था जिसने इसे किया था

जुर्माना चुकाने के लिए।

19. जहां कोई अनुबंध, व्यक्त या निहित, स्पष्ट रूप से या निहितार्थ द्वारा क़ानून द्वारा निषिद्ध है, कोई भी अदालत इसे प्रभावी बनाने के लिए अपनी सहायता नहीं देगी। (मेलिस वी. देखें। शर्ली एल. बी. [(1885) 16 क्यू. बी. डी 446: 55 एलजेक्यूबी 143: 2 टी. एल. आर. 360]) एक अनुबंध अमान्य है यदि एक दंड के तहत एक क़ानून द्वारा निषिद्ध है, यहां तक कि स्पष्ट घोषणा के बिना कि अनुबंध अमान्य है, क्योंकि इस तरह के दंड का अर्थ एक निषेध है। जुर्माना केवल व्यक्तियों को अनुबंध में प्रवेश करने से रोकने के इरादे से या राजस्व के उद्देश्यों के लिए लगाया जा सकता है या अनुबंध में प्रवेश नहीं किया जाएगा ताकि कानून में वैध हो। कभी-कभी एक अंतर किया जाता है

अवैध कार्य करने के उद्देश्य से किए गए अनुबंधों और स्पष्ट रूप से या कानून द्वारा निहित रूप से निषिद्ध। भेद यह है कि

रैंक [(1957) 1 क्यू. बी. 267]। (हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, थर्ड एडन भी देखें। , खण्ड. 8 , पी। 141.) 20. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक अनुबंध जिसमें क़ानून द्वारा निषिद्ध कार्य को पूरा करना शामिल है, अमान्य है। कानूनी उक्ति ए पैक्टिस प्राइवेटोरम पब्लिक जूरी नॉन

अवमूल्यन का अर्थ है कि निजी समझौते सामान्य आशा जॉन दीवानथन v को बदल नहीं सकते हैं।

विक्रम मल्होत्रा और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

कानून। जहाँ कोई अनुबंध, व्यक्त या निहित, स्पष्ट रूप से या द्वारा किया जाता है

कानून द्वारा निषिद्ध निहितार्थ, कोई भी अदालत अपनी सहायता नहीं दे सकती है प्रभाव देने के लिए। (मेलिस वी. देखें। शर्ली एल. बी.) इसमें क्या किया जाता है

कार्रवाई का विषय नहीं बनाया जा सकता है। 21. यदि कुछ भी कानून के खिलाफ है, हालांकि यह निषिद्ध नहीं है

कानून लेकिन केवल एक जुर्माना जोड़ा गया है समझौता है

शून्य। प्रत्येक मामले में जहां एक कानून एक करने के लिए जुर्माना लगाता है

अधिनियम, हालांकि अधिनियम निषिद्ध नहीं है, फिर भी बात गैरकानूनी है,

एक वैध कार्य। 22. दंड कानून द्वारा दो अलग-अलग उद्देश्यों के लिए लगाए जाते हैं:

(1) धोखाधड़ी से जनता की सुरक्षा के लिए, या कुछ के लिए

सार्वजनिक नीति का अन्य उद्देश्य; (2) कुछ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य या कुछ सार्वजनिक निकायों के लिए राजस्व के स्रोत।

यदि यह स्पष्ट है कि कानून द्वारा दंड लगाया गया है कुछ पर कुछ होने से रोकने का उद्देश्य

शून्य माना जाए, भले ही जुर्माना लगाया जाए लागू नहीं किया जा सकता "।

(जोर दिया गया)

इस निर्णय में अंतर्निहित सिद्धांत सभी चार पर लागू होना चाहिए।

1973 के अधिनियम की धारा 31 के उद्देश्य का विश्लेषण करते हुए।

21. अपीलार्थी ने संघ के कथन की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है

भारत और ओआरएस। वी. ए. के. पांडे ने कहा कि जहां कोई अनुबंध, व्यक्त या निहित, स्पष्ट रूप से या निहितार्थ द्वारा क़ानून द्वारा निषिद्ध है, कोई भी अदालत इसे प्रभावी बनाने के लिए अपनी सहायता नहीं देगी। इसके अलावा, एक अनुबंध अमान्य है यदि एक दंड के तहत एक क़ानून द्वारा निषिद्ध है, यहां तक कि स्पष्ट घोषणा के बिना कि अनुबंध अमान्य है, क्योंकि इस तरह के दंड का अर्थ एक निषेध है। इसी तरह, भारत संघ के मामले में v. कर्नल एल. एस. एन. मूर्ति और <आई. डी. 1], अदालत ने राय दी

कि अनुबंध वैध होगा, जब तक कि उसका विचार और उद्देश्य ऐसी प्रकृति का न हो कि, यदि अनुमति दी जाती है, तो यह कानून के प्रावधानों को विफल कर देगा और ऐसे मामले में विचार या उद्देश्य गैरकानूनी है और अमान्य हो जाएगा और जब तक कि

समझौते के परिणामस्वरूप एक गैरकानूनी कार्य का निष्पादन होता है, एक समझौता जो

19 (2009) 10 एस. सी. सी. 552 (पैरा 14 और 15) 20 (2012) 1 एस. सी. सी. 718 (पैरा 16 से 19 और 21)

अन्यथा कानूनी है जिसे शून्य नहीं माना जा सकता है और यदि एक

समझौते के परिणामस्वरूप कोई गैरकानूनी कार्य नहीं हुआ, सार्वजनिक नीति के मामले के रूप में, अदालत को पक्षों द्वारा किए गए सौदे और उसके तहत किए गए गंभीर वादों को बचाने के लिए अनुबंध को अमान्य घोषित करने से इनकार कर देना चाहिए। न्यायालय ने श्री लाचू मल बनाम में पहले के निर्णय में दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार किया। श्री राधे श्याम 2 1 के बारे में

जो बात किसी समझौते को अमान्य बनाती है, जो अन्यथा वैध है, वह यह है कि कानून की अवज्ञा के अलावा इसका प्रदर्शन असंभव है।

22. विशेष रूप से, भारतीय जीवन बीमा निगम (उपरोक्त) में इस न्यायालय की संविधान पीठ को उद्देश्यों की जांच करने का अवसर मिला था

और 1973 के अधिनियम को लागू करने के कारण। न्यायालय से 1973 के अधिनियम की धारा 29 के उद्देश्य पर विचार करने के लिए कहा गया था, जो उसी अधिनियम की धारा 31 के विपरीत "पूर्व" या "पूर्व" शब्द के साथ "भारतीय रिजर्व बैंक की सामान्य या विशेष अनुमति" शब्दों को योग्य नहीं बनाता है। पैराग्राफ 63 में इस अंतर पर ध्यान दिया गया है और संदर्भ दिया गया है।

विशेष रूप से 1973 के अधिनियम की धारा 31 में बनाया गया है। इससे यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि धारा 29 और 31 में प्रदान किए गए प्रावधानों को विशिष्ट माना जाना चाहिए और इसका उल्लंघन विभिन्न परिणामों के साथ होगा। धारा 29 के संबंध में, इस न्यायालय ने राय दी कि

गैर-निवासी कंपनियों द्वारा शेयरों की खरीद के लिए किसी स्तर पर भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमति ली जा सकती है और आवश्यक रूप से पूर्व अनुमति नहीं। इसलिए, न्यायालय ने राय दी कि अधिनियम की धारा 29 के तहत आने वाले लेन-देन के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व कार्योत्तर अनुमति भी दी जा सकती है।

23. उल्लेखनीय है कि धारा 31 के उल्लंघन का परिणाम

विजय करिया (ऊपर) मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के हाल के फैसले में भी इस अधिनियम के हस्तांतरण को अमान्य करने पर ध्यान दिया गया है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) में प्रदान की गई व्यवस्था को अलग करते हुए पैराग्राफ 88 में इसका उल्लेख किया गया है। अदालत ने नोट किया है कि FERA के विपरीत FEMA-विदेशी मुद्रा को नियंत्रित करने के बजाय विदेशी मुद्रा के प्रबंधन की राष्ट्र की नीति को संदर्भित करता है, पुलिसकर्मी FERA के तहत RBI है। वास्तव में, यह वर्तमान अपील में शामिल प्रश्न से सीधे संबंधित निर्णय नहीं है।

फिर भी, यह धारा 31 के तहत सख्त व्यवस्था का ध्यान रखता है, जैसा कि यह 1973 के अधिनियम के तहत प्राप्त किया गया था, विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक की "पूर्व" सामान्य या विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है।

21 (1971) 1 एस. सी. सी. 619 ए. जॉन दीवानथन बनाम। विक्रम मल्होत्रा और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

24. तीन अन्य-मामले में न्यायाधीश पीठ-रेनुसागर पावर

टी. डी. (उपर्युक्त) किसी अन्य निर्णय की प्रवर्तनीयता के प्रश्न पर विचार करते समय, धारा 47 1973 अधिनियम के संदर्भ में एफ. ई. आर. ए. के उल्लंघन के लिए विज्ञापित किया गया, जैसा कि पैराग्राफ 68 से 84 तक देखा जा सकता है। हमें इस निर्णय पर देर करने की आवश्यकता है सिवाय हर्बर्ट वैग के कथन पर ध्यान देने के: . लिमिटेड, आरई 22 पैराग्राफ 68 में पुनः प्रस्तुत किया गया है, जो इस प्रकार है:

" 68. ..... हर्बर्ट वैग एंड कंपनी लिमिटेड, री [(1956) 1 सीएच 323] में, जे. उपजॉन ने कहा है:

" इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है कि कानून का उद्देश्य सुरक्षा करना है

राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और उसके निवासियों का सामान्य कल्याण

विभिन्न विदेशी उपायों द्वारा उनकी राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना विनिमय नियंत्रण या अपनी मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन करके,

विदेशी अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त, हालांकि इसका प्रभाव आमतौर पर आंशिक रूप से ज़ब्त करने वाला होता है। संभवतः दुनिया में ऐसा कोई सभ्य देश नहीं है जिसने अपने इतिहास में किसी भी स्तर पर अपनी मुद्रा में बदलाव नहीं किया हो या अपने निवासियों के किसी अन्य देश की मुद्रा खरीदने के अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं किया हो। (पी। 349) मेरे निर्णय में इन अदालतों को विदेशी उपायों द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा करने के लिए प्रत्येक विदेशी राज्य के अधिकार को मान्यता देनी चाहिए।

विनिमय नियंत्रण और उसकी मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन करके। उन उपायों को प्रभावी बनाया जाना चाहिए जहां विदेशी राज्य का कानून अनुबंध का उचित कानून है या जहां चल है। राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थित हो। (पी। 351) "

निर्णय के अनुच्छेद 69 को पुनः प्रस्तुत करना भी उपयोगी हो सकता है, जो इस प्रकार है:

" 69. निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून का निम्नलिखित सिद्धांत है -

ऐसे विधान के संबंध में लागू:

" 212. (1) एक संविदात्मक दायित्व को विनिमय नियंत्रण कानून द्वारा अमान्य या निर्वहन किया जा सकता है यदि

(ख) यह प्रदर्शन के स्थान के नियम का हिस्सा है; या (ग) यह अंग्रेजी कानून का हिस्सा है और संबंधित क़ानून या वैधानिक साधन अनुबंध पर लागू होता है:

बशर्ते कि विदेशी मुद्रा कानून लागू नहीं किया जाएगा यदि इसका उपयोग विदेशी राज्य की अर्थव्यवस्था की रक्षा के उद्देश्य से नहीं किया जाता है, बल्कि उत्पीड़न या भेदभाव के साधन के रूप में किया जाता है। (देखिए: डाइसी एंड मॉरिस, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज़, 11 वीं संस्करण। , खण्ड. II, 1466.) ”

25. 1973 के अधिनियम की धारा 31 के विश्लेषण से और उसी अधिनियम की धारा 47,50 और 63 के साथ संयुक्त रूप से पढ़ने पर, हमें यह मानना चाहिए कि बिक्री विलेख या उपहार विलेख को निष्पादित करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक से "पूर्व" अनुमति लेने की आवश्यकता सर्वोत्कृष्टता है और ऐसा करने में विफलता को हस्तांतरण को कानून में अप्रवर्तनीय बनाना चाहिए। द.

धारा 31 के तहत हस्तांतरण प्रभावी होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक की "पूर्व" या "पूर्व" अनुमति अनिवार्य है। क्योंकि, भारतीय रिज़र्व बैंक किसी दिए गए मामले में अनुमति देने से इनकार करने के लिए सक्षम है। आर. बी. आई. द्वारा ऐसी अनुमति दिए जाने के बाद ही बिक्री या उपहार को प्रभावी बनाया जा सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है। पूर्व पोस्ट फैक्टो अनुमति की कोई संभावना नहीं है

भारतीय जीवन बीमा निगम (उपर्युक्त) में उल्लिखित धारा 29 के मामले के विपरीत, 1973 के अधिनियम की धारा 31 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान किया गया।

ऐसी अनुमति देने से पहले, यदि बिक्री विलेख या उपहार विलेख को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति द्वारा चुनौती दी जाती है और अदालत

26. इस सामान्य नीति के आलोक में कि विदेशियों को भारत में अचल संपत्ति के साथ सौदा करने की अनुमति/अनुमति नहीं दी जानी चाहिए; 1973 के अधिनियम की धारा 31 में निर्दिष्ट लेन-देन में शामिल होने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति लेने की शर्त और उल्लंघन के मामले में जुर्माने के परिणाम, एक व्यक्ति द्वारा भारत में स्थित अचल संपत्ति का हस्तांतरण, जो भारत का नागरिक नहीं है, भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना अप्रवर्तनीय माना जाना चाहिए और

एक निषिद्ध अधिनियम का निहितार्थ। आर. बी. आई. और इस तरह के लेन-देन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किसी भी व्यक्ति द्वारा इससे बचा जा सकता है। वहाँ

ऐसे व्यक्ति के लिए उपचार से इनकार करने का कोई कारण नहीं है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह के लेनदेन से प्रभावित है। वह प्रत्यक्ष कार्रवाई या यहां तक कि संपार्श्विक या अप्रत्यक्ष चुनौती के माध्यम से भी चुनौती स्थापित कर सकता है।

27. दूसरे शब्दों में, जब तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है, यह अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के साथ पठित धारा 10 के अर्थ के भीतर एक वैध अनुबंध या समझौता नहीं होगा। क्योंकि, यह एक वर्जित आशा जॉन दीवानथन बनाम बना हुआ है।

विक्रम मल्होत्रा और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

प्रक्रिया, 1908। 28. प्यारा सिंह (उपरोक्त) मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले पर लौटते हुए, विवादित फैसले में भरोसा किया गया था, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

" 11. यह सच है कि इस धारा में प्रावधान किया गया है कि रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना, एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, वह संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता है, लेकिन यह प्रावधान नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति कोई संपत्ति खरीदता है तो उसमें स्वामित्व उसे नहीं जाता है। अधिनियम में जो प्रावधान है वह यह है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 31 और कुछ अन्य धाराओं का उल्लंघन करता है, तो उसे धारा 50 के तहत दंडित किया जा सकता है और धारा 56 के तहत भी मुकदमा चलाया जा सकता है। हालांकि, अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो लेन-देन को अमान्य बनाता है या कहता है कि उप-धारा के प्रावधानों का उल्लंघन होने की स्थिति में संपत्ति में कोई स्वामित्व खरीदार को नहीं जाता है। (1) एस. 31. धारा 63 में शामिल है -

कुछ संपत्तियों को जब्त करने के संबंध में प्रावधान है, लेकिन इसमें उप-धारा के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर जब्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। (1) एस. 31. इसलिए, उप-धारा के उल्लंघन में खरीदी गई संपत्ति। (1) एस. 31 का भी उत्तरदायी नहीं है

जब्त करना। परिस्थितियों में, यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि वादी संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं या

इसके उपयोग और व्यवसाय के लिए नुकसान की वसूली करें।

29. सबसे पहले, धारा 31 में निर्दिष्ट उल्लंघन के लिए धारा 50 के तहत दंड के प्रावधान का मतलब यह नहीं है कि भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति की आवश्यकता निर्देशिका या केवल औपचारिकता है। यह विधायिका के लिए खुला है कि वह उल्लंघन के लिए दो अलग-अलग परिणाम प्रदान करे।

21] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, स्पष्ट प्रावधान के अभाव के बावजूद हस्तांतरण को शून्य घोषित करना, धारा 31 को लागू करने के पीछे का इरादा और इसका उद्देश्य हस्तांतरण को उसके उल्लंघन में तब तक अप्रवर्तनीय बनाता है जब तक कि

इस तरह के लेन-देन की अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी जाती है। 30. यह देखने के लिए पर्याप्त है कि केवल इसलिए कि अधिनियम में कोई प्रावधान लेन-देन को अमान्य नहीं बनाता है या कहता है कि संपत्ति में कोई स्वामित्व पारित नहीं होता है।

यदि धारा 31 के प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो खरीदार को कोई लाभ नहीं होगा। यह धारा 31 में निर्दिष्ट हस्तांतरण को मान्य नहीं करता है, जो भारतीय रिजर्व बैंक की "पूर्व" अनुमति द्वारा समर्थित नहीं है। इसके अलावा, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने गलती से यह मान लिया कि धारा 31 में निर्दिष्ट अचल संपत्ति को जब्त करने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। 1973 के अधिनियम की धारा 63 स्पष्ट रूप से उस संपत्ति को संदर्भित करती है जिसके संबंध में केंद्र सरकार को जब्त करने के लिए उल्लंघन किया गया है। उसमें "संपत्ति" शब्द निश्चित रूप से अधिनियम की धारा 31 में निर्दिष्ट अचल संपत्ति को अपने दायरे में ले लेगा। धारा 63 में "संपत्ति" अभिव्यक्ति एक समावेशी शब्द है और इसलिए, यह मानने का कोई कारण नहीं है कि

ज़ब्ती का परिणाम अचल संपत्ति पर लागू नहीं हो सकता है

जिसके संबंध में धारा 31 की उप-धारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था। उस फैसले का आधार कमजोर है और स्पष्ट रूप से गलत है। इसी कारण से, आर. सांबशिवम में निर्णय (मद्रास उच्च न्यायालय का उपर्युक्त) गलत है क्योंकि इसने केवल पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया है। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना उपहार विलेख का लेन-देन अमान्य नहीं हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से कानून में तब तक लागू नहीं किया जा सकता है जब तक कि ऐसा न हो।

अनुमति दी जाती है।

31. अजीत प्रसाद जैन (ऊपर) के मामले में 1973 के अधिनियम की धारा 31 के उल्लंघन के परिणामों के बारे में चर्चा में पाया जाता है

रिपोर्ट किए गए निर्णय का अनुच्छेद 26। हालांकि, यह निर्णय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा प्यारा सिंह (ऊपर) में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से स्वतंत्र, उन पहलुओं का कोई स्पष्ट विश्लेषण नहीं है जो 1973 की धारा 31 की सही व्याख्या देने के लिए उपयुक्त हैं।

अधिनियम और इसके उल्लंघन के लिए परिणामों का प्रभाव। अब तक हमारे द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के लिए, इस निर्णय पर आगे विस्तार करना अनावश्यक है। इसी तरह, तुफानु चौहान (ऊपर) के मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अनिवार्य रूप से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्यारा सिंह (ऊपर) के फैसले पर भरोसा किया। प्यारा सिंह (ऊपर) के साथ व्यवहार करते समय पहले से बताए गए कारणों के लिए, यह निर्णय भी आशा जॉन दीवानथन बनाम का कोई लाभ नहीं होगा।

विक्रम मल्होत्रा और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

उत्तरदाता को। यहां तक कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने गीता रेनबोथ (उपरोक्त) मामले में भी प्यारा सिंह (उपर्युक्त) के साथ-साथ न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह की पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैच्युटरी इंटरप्रिटेशन, 8वें संस्करण और जानकी बाई बनाम उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। रतन मेलू 2 3 23, अजीत प्रसाद जैन (ऊपर) और अधिसूचना सं। जी. एस. आर. 456 (ई) दिनांक 26.05.1993 भारतीय रिजर्व बैंक (विनिमय नियंत्रण) विभाग) 1993 में एम. पी. एल. टी. 242 (109) में प्रकाशित हुआ। जहाँ तक पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैच्युटरी इंटरप्रिटेशन के उक्ति का संबंध है, वह एक सामान्य कथन है।

अवलोकन, विशेष रूप से 1973 के अधिनियम की धारा 31 के उद्देश्य और व्याख्या से संबंधित नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, धारा 31 की व्याख्या उस इरादे के आलोक में की जानी चाहिए जिसके साथ इसे विदेशियों को भारत में अचल संपत्ति का लेन-देन करने या रखने की अनुमति नहीं देने की सामान्य नीति को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। जानकी बाई (उपरोक्त) का मामला सी. पी. और बरार धन ऋणदाता अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से संबंधित था। अतः उसमें की गई टिप्पणियां उस अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में हैं। हम पहले ही अजीत प्रसाद जैन (ऊपर) में उक्ति का विश्लेषण कर चुके हैं और ध्यान दिया है कि इसका प्रतिवादी के लिए कोई लाभ नहीं है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 26.05.1993 की घोषित अधिसूचना पर लौटते हुए, जो वास्तव में 1973 के अधिनियम की धारा 31 के दायरे को स्पष्ट करने के लिए है। हालाँकि, यह कुछ शर्तों पर भारत में अचल संपत्ति से निपटने के लिए "भारतीय मूल" के विदेशी नागरिक द्वारा किए गए लेनदेन तक सीमित है। यह अधिसूचना विदेशियों पर लागू नहीं होती है या ऐसा कहने के लिए कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, अर्थात् विदेशी नागरिक। वर्तमान मामले में, भूमि का स्वामित्व एक विदेशी नागरिक के पास था। इस कारण से, धारा 31 की कठोरता पूरी ताकत के साथ लागू होनी चाहिए। इसके अलावा, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उक्त अधिसूचना 1993 में जारी की गई थी, जिसके आसपास भारत में अर्थव्यवस्था को खोलकर अनिवासी भारतीयों और विदेशियों के लिए निवेश के अवसरों के बारे में नीति में बदलाव किया गया था। वर्तमान मामले में, हम करीब से प्रभावित लेनदेन से निपट रहे हैं।

1973 के अधिनियम के लागू होने तक, यानी वर्ष 1977 में जब विचार अलग थे और 1973 के अधिनियम की धारा 31 के अधिनियमन के रूप में प्रकट विभिन्न नीतियों द्वारा शासित थे, जिससे तत्कालीन वित्त मंत्री ने लोकसभा में बात की थी, जिसमें विदेशियों को भारत में अचल संपत्ति के साथ लेनदेन करने से मना किया गया था।

32. मद्रास उच्च न्यायालय के दो अन्य निर्णय, शिवप्रकाशम (उपरोक्त) और माथु श्री अक्कबाई अम्मनी चैरिटेबल

ट्रस्ट (ऊपर) को सेवा में लगाया गया था। इनका निर्णय उसी उच्च न्यायालय के पहले के फैसले में अपनाए गए समान तर्क पर किया गया था।

23 1962 एमपीएलजे 78:

वाणी 1962 एमपी 117 [2021] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आर. सांबशिवम (ऊपर) और प्यारा सिंह (ऊपर) में। 1973 के अधिनियम की धारा 31 की व्याख्या पर हमारे द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के आलोक में उन निर्णयों का प्रतिवादी के लिए कोई लाभ नहीं होगा।

33. अब हम जोआकिम मस्कारेन्हास फिउजा बनाम में बॉम्बे उच्च न्यायालय (गोवा पीठ) के निर्णय के लिए उपयोगी विज्ञापन दे सकते हैं। जेमी

रेबेलो & Anr.24, जिसने 1973 के अधिनियम की धारा 31 की व्याख्या करने के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है। वह संपत्ति के हस्तांतरण के मामले से संबंधित था जो प्रतिवादी के अनुसार वादी/याचिकाकर्ता द्वारा आयोजित नहीं किया जा सकता था, जो एक विदेशी नागरिक था और भारत का नागरिक नहीं था, उस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई अनुमति के अभाव में। बंबई उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि 1973 के अधिनियम की धारा 31 में भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता अनिवार्य है और एक विदेशी नागरिक भारत में संपत्ति तभी रख सकता है जब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसकी अनुमति दी जाए। इस प्रकार लिया गया दृष्टिकोण हमारी सराहना करता है। विशेष रूप से, एकल न्यायाधीश

मद्रास उच्च न्यायालय ने सहरुवन नचैर और अन्र में इस उक्ति का पालन किया था। वी. वी. एस. मोहम्मद हुसैन मारकेयर 25.

34. यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि केरल उच्च न्यायालय ने विलियम बाबू एंड अन्र मामले में। वी. हेल्मा रॉय उपनाम एमिली कार्मेल ", राय दी

वह अनुबंध जो धारा 31 का उल्लंघन करता है, अमान्य है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व सामान्य या विशेष अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी, जो

देखना अनिवार्य था। यह निर्णय 2018 के एसएलपी (सिविल) No.11591 को 23.04.2018 पर खारिज करने के परिणामस्वरूप अंतिम हो गया था। यहाँ तक कि श्रीमती शोभा विश्वनाथ बनाम में मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ। डी. पी.

किग्सले 2 7 ने 1973 के अधिनियम की धारा 31 के उद्देश्य पर विचार करते हुए, अपने विवेकपूर्ण निर्णय के माध्यम से अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के दायरे और पोलक और मुल्ला भारतीय अनुबंध अधिनियम, VII संस्करण, पृष्ठ 158 में उस संबंध में चित्रित सिद्धांतों पर विचार किया, जिसमें जोकिम मस्कारेनहास फिउज़ा (ऊपर), बहरीलाल मौदगी बनाम में निर्णय शामिल हैं। सरकार के सचिव। ए. पी. गृह विभाग, हैदराबाद और सार्वजनिक नीति को नियंत्रित करने वाले विचार, जैसा कि घेरूलाल पारेख बनाम में वर्णित है। महादेव माइया और Ors.2, रतन चंद हीरा चंद बनाम। अस्कर नवाज (मृत) एल. आर. और अन्य संधियों द्वारा

24 1986 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 234: 1986 माह एलजे 1031 25 (2001) 1 पागल एलजे 188: 2000 एससीसी ऑनलाइन मैड 737 26 (2018) 1 के. एल. जे 525: 2017 एससीसी ऑनलाइन केर 25269 27 1996 (I) सीटीसी 620: 1996 एससीसी ऑनलाइन मैड 319 28 1986 (2) एएलटी 241

29 आकाशवाणी 1959 एससी 781

30 1991 (3) एस. सी. सी. 67 आशा जॉन दीवानथन बनाम। विक्रम मल्होत्रा और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

35. हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसके लिए यह संभव नहीं है कि 1973 के अधिनियम की धारा 31 के संदर्भ में वामन राव (ऊपर) में उक्ति का आह्वान करके अलग-अलग उच्च न्यायालयों के स्थिर दृष्टिकोण को बाधित न किया जाए। क्योंकि, राय का टकराव है और यह सभी उच्च न्यायालयों के सुसंगत दृष्टिकोण का मामला नहीं है, जिनके पास 1973 के अधिनियम की धारा 31 की व्याख्या से निपटने का अवसर है। परिणामस्वरूप, हमें सभी निर्णयों का विश्लेषण करने का अभ्यास करना पड़ा ताकि 1973 के अधिनियम की धारा 31 को उचित अर्थ दिया जा सके। हमारी राय में, भारतीय रिज़र्व बैंक की धारा 31 द्वारा कवर किए गए लेनदेन के संबंध में पूर्व सामान्य या विशेष अनुमति लेने की आवश्यकता। 1973 का अधिनियम अनिवार्य है। नतीजतन, किसी विदेशी द्वारा भारत में स्थित संपत्ति की कोई भी बिक्री या उपहार उसके उल्लंघन में कानून में अप्रवर्तनीय होगा।

36. जैसा कि प्रतिवादी संख्या के पक्ष में 11.03.1977 और 19.04.1980 दिनांकित उपहार विलेख में कहा गया है। 1 कानून में अप्रवर्तनीय होने के कारण, प्रतिवादी नं। 1

धारा 31, जैसा कि लोकसभा में विधेयक को पेश करते समय तत्कालीन वित्त मंत्री के बयान से प्रकट होता है कि एक सामान्य नीति के रूप में विदेशी नागरिक को भारत में अचल संपत्ति के साथ सौदा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उस स्पष्ट संकेत के अलावा, विधायी योजना हमें एक दृष्टिकोण लेने के लिए प्रेरित करती है जिसे धारा 47,50 और 63 के साथ धारा 31 के संयुक्त पठन से प्रबलित किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि "पिछले" की आवश्यकता अचल संपत्ति में लेन-देन करने से पहले किसी विदेशी नागरिक द्वारा ली जाने वाली भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति अनिवार्य है। दूसरे शब्दों में, पूर्व अनुमति के बिना [2021] 1 एस. सी. आर.

आर. बी. आई. द्वारा इस तरह का लेन-देन वर्जित है और यदि किया जाता है, तो यह कानून में अप्रवर्तनीय होगा।

38. हम मानते हैं कि 1973 के अधिनियम की धारा 31 में भारत में स्थित अचल संपत्ति के हस्तांतरण या निपटान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से "पूर्व" सामान्य या विशेष अनुमति प्राप्त करने की शर्त

एक व्यक्ति द्वारा बिक्री या बंधक, जो भारत का नागरिक नहीं है, अनिवार्य है। जब तक ऐसी अनुमति नहीं दी जाती है, तब तक कानूनी रूप से, हस्तांतरण को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है और उस आवश्यकता का उल्लंघन करने के लिए, संबंधित व्यक्ति को धारा 50 के तहत दंड और 1973 के अधिनियम में प्रदान किए गए अन्य परिणामों के साथ देखा जा सकता है। अतः विचारण न्यायालय के रूप में साथ ही उच्च न्यायालय ने 12,306 वर्ग फुट की वाद संपत्ति के संबंध में घोषणा के लिए और उसमें निर्दिष्ट परिणामी राहत के लिए वादी द्वारा दायर मुकदमे को खारिज करने में स्पष्ट त्रुटि की।

39. एक प्राथमिकता के रूप में, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबंधित उच्च न्यायालयों के निर्णय यह विचार रखते हुए कि 1973 के अधिनियम की धारा 31 अनिवार्य नहीं है और इसके उल्लंघन में लेन-देन अमान्य या अप्रवर्तनीय नहीं है, एक अच्छा कानून नहीं है। हालाँकि, सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय के निर्णय के आधार पर जो लेनदेन पहले ही अंतिम हो चुके हैं, उन्हें इस घोषणा के कारण किसी भी तरह से फिर से खोलने या बाधित करने की आवश्यकता नहीं है। यह घोषणा/निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत हमारी पूर्ण शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी किया जा रहा है। क्योंकि, भारत में विदेशियों द्वारा निवेश की सामान्य नीति में एक आदर्श बदलाव आया है और विशेष रूप से, 1973 का अधिनियम स्वयं ही निरस्त हो गया है। तदनुसार, हम निर्णयों को रद्द करना उचित समझते हैं। उच्च न्यायालयों का, विपरीत दृष्टिकोण लेते हुए, हालांकि, संभावित रूप से। 40. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील की अनुमति है। निचली अदालत के विवादित फैसले और डिक्री, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, को दरकिनार कर दिया गया है। इसके बजाय, श्री आर. पी. डेविड (अपीलार्थी के पूर्ववर्ती और प्रत्यर्थी संख्या 4) द्वारा दायर 1984 के ओ. एस. <आई. डी. 1 में आदेश दिया गया है।

वादी के पक्ष में। अपीलार्थी (वादी का कानूनी प्रतिनिधि होने के नाते) मुकदमे की संपत्ति पर कब्जा करने का हकदार है क्योंकि

इसके स्वामी और उस प्रासंगिक अवधि के लिए भी जिसके लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 20 नियम 12 के तहत एक अलग जांच की जानी चाहिए। तदनुसार आदेश दिया। इस बारे में कोई आदेश नहीं लागतें।

सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है।

अपील की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे